वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) (02.11.2018 से)

अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण

श्री सी.एम साने, संयुक्त सचिव (वित्त)
श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव (23.04.2019 से)
श्री एस. कुमारास्वामी (30.03.2019 तक)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री पी.एस. राघवन (02.08.2019 से)
श्री कमल बाली (02.08.2019 से)
डॉ. अजीत टी कलघाटगी (02.08.2019 से)

इसरो नामित निदेशकगण

श्री आर उमामहेश्वरन (16.03.2019 से)
श्री वी किशोरनाथ (16.03.2019 से)
श्री के सेतुरामन (16.03.2019 से)
डॉ. एम. अन्नादुरई (31.07.2018 तक)
श्री एस. पांडियन (31.07.2018 तक)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
#32/1, वशिष्ट पैराडाइज, द्वितीय तल
प्रथम मंदिर रोड, 11 वाँ क्रॉस
मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560 003

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बेंगलूरु-560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु-560 064

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल रोड
बेंगलूरु-560 094

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
आरक्षण	5
राजभाषा कार्यान्वयन	6
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर	8
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	9
वार्षिक विवरणी सार	12
वर्ष 2018-19 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	18
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट	24
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'क'	28
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ख'	30
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ग'	32
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	33
तुलनपत्र	35
लाभ तथा हानि लेखा	37
नकद प्रवाह विवरणी	38
इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	40
वित्तीय विवरणी के नोट	42
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	53

सी.एम.डी की ओर से

सन् 1962 में, पहले वाणिज्यिक उपग्रह टेलस्टार-1 के प्रमोचन के बाद अंतरिक्ष व्यापार ने लंबा सफर तय किया है और आज कई कंपनियाँ हैं जो उपग्रहों के निर्माण एवं प्रमोचन के लिए सक्षम हैं और वाणिज्यिक व्यापार सेवाएँ प्रदान करती हैं। वर्षों से प्रौद्योगिकी की परिपक्वता, लघुकरण, कम लागत और बढ़ती माँग ने कई नव उद्द्यमियों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को और आकर्षक बना दिया है। आज, अंतरिक्ष उद्योग पश्चिमी अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान दे रहा है। हालाँकि, भारत में, अंतरिक्ष वाणिज्य अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है और इस क्षेत्र से आर्थिक लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। भारत के कम भागीदारी का एक कारण यह भी है कि भारतीय अंतरिक्ष एक आबद्ध क्षेत्र है।

इसरो की पृष्ठभूमि के साथ, पिछले 27 वर्षों से, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष व्यापार का ध्वज वाहक बना हुआ है। प्रमोचन सेवा, जो एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक है, को निर्यात सेवा के रूप में महता नहीं मिली थी। एन्ट्रिक्स ने इस मामले को अंतरिक्ष विभाग के साथ उठाया और इस मामले को एक साथ वित्त मंत्रालय के समक्ष रखने में कामयाब रहा। इससे इस सेवा की दीर्घकालिकता उस समय संभव हो पाई जब विश्व स्तर पर प्रमोचन मूल्य कम हो रहा है।

आज वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग लगभग 360 करोड़ डॉलर के तुल्य है एवं 5.6% के सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है। भारत, एक मान्य अंतरिक्ष राष्ट्र होने के नाते, एक प्रमुख योगकर्ता के रूप में उभरने के लिए सक्षम है। इसके लिए, आवश्यक पारिस्थितिकी का निर्माण करना ज़रूरी है। एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्पादों एवं सेवाओं में निवेश करके ऐसी पारिस्थितिकी की योजना बनाए हुए है। ऐसी उम्मीद है कि इस से नई शुरुआत होगी।

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित सत्ताइसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

वर्ष के दौरान, कंपनी का व्यापार ₹1,12,838.01 लाख से बढ़कर ₹1,64,032.78 लाख हो गया। ₹21,152.36 लाख की तुलना में कर पश्चात् लाभ ₹26,552.86 लाख है। वर्ष के दौरान, कंपनी का राजस्व लगभग 45.37% बढ़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं को उपयोग में लाकर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

उपग्रह संचार एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी ने उपयोग के विस्तृत क्षेत्रों, अवसरों एवं वाणिज्यिक बाज़ार की अपार संभावनाएँ प्रदान कर रखी है। देश की सैटकॉम माँग में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है और वही स्थिति उपग्रह क्षमता की माँग की भी है। अंकीकरण के लिए सरकारी पहल उपग्रह क्षमता की माँग का प्रमुख वाहक है और चरण 1 के पूरा हो जाने और चरण 2 के कार्य के लिए संविदा के आबंटन से भारतनेट जैसे मूर्धन्य कार्यक्रम प्रगति पर हैं। यह परियोजना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, झारखण्ड तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्थित 3620 ग्राम पंचायतों को जीसैट-11 उपग्रह के माध्यम से जोड़ने के लिए अभिलक्षित है। दिसम्बर 2018 में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के अधिपत्र के जारी होने के बाद चल अनुप्रयोग (अंत: उड़ान संयोजन एवं नौवहन) में परिज्ञप्ति प्रचलित विधि की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2018 से, देश में निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों में 2.5% एवं डीटीएच उपभोक्ताओं में 2.8% की अभिवृद्धि देखी गई है। फरवरी 2019 के दौरान, जीसैट 31 के प्रमोचन के बाद इन्सैट/जीसैट के बेड़े में और अधिक केयू बैण्ड प्रेषानुकर जोड़े गए हैं तथा कंपनी ने निजी संचालकों की बाहरी प्रसारण सेवाओं (डी.एस.एन.जी. के लिए ओ.बी.वाहन) के लिए अवसर के अनुरूप केयू बैण्ड क्षमता की पूर्ति की है। आपकी कंपनी ने एच.टी.एस. वर्ग के उपग्रह जैसे-जीसैट 11 एवं जीसैट 29 को प्रमोचित किया है जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं संयोजन कार्यक्रमों को सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। आपकी कंपनी, निकट भविष्य में वाणिज्यिक आधार पर संयोजन एवं ब्रॉडबैण्ड आवश्यकताओं के लिए केए-केए बैण्ड एच.टी.एस. उपग्रह - जीसैट 20 को प्राप्त करने के लिए आशान्वित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए 41.9 प्रेषानुकर का अतिरिक्त प्रावधान किया है एवं विभिन्न इन्सैट/जीसैट तथा विदेशों से पट्टे पर लिए गए उपग्रहों से ~12.2 टी.एक्स.पी सौंपे गए हैं। इन आबंटनों के साथ, भारतीय प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 196 से अधिक प्रेषानुकर एवं विदेशी प्रचालकों से पट्टे पर लिए गए प्रेषानुकर का प्रावधान किया गया है। आपकी कंपनी ने डी.एस.एन.जी, वीसैट एवं डी.टी.एच उपयोग के लिए विदेशी पट्टेवाले विभिन्न करार को समाप्त कर दिया है और इन प्रयोक्ताओं को डी.टी.एच उपयोग के लिए इन्सैट/जीसैट बेड़े यथा- डी.एस.एन.जी के लिए एन.एस.एस.12 एवं एस.ई.एस.9; वीसैट के लिए एन.एस.एस.12 एवं आइ.एस.33 ई तथा डी.टी.एच के लिए एशियासैट 5 पर स्थानांतरित कर दिया है । बाकी बचे वीसैट एवं डी.टी.एच प्रयोक्ताओं द्वारा भी इन्सैट क्षमता का उपयोग करने के लिए भविष्य की योजना तैयार की गई है।

हालाँकि, भौगोलिक नेटवर्क के मूल्यों से उपग्रह के मूल्य की तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी, कंपनी आश्वस्त है कि उभरती तकनीकें यथा- 5जी, आइओटी एवं एमटूएम उपग्रह सेवाएँ भारत के सेल्युलर बैकहॉलिंग एवं ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों में मूलत; बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है ।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण एलईओपी एवं अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। इस्ट्रैक के भू-स्टेशन के उपयोग से यूरोप के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी एवं टीटीसी सहायता प्रदान की गई थी | आपकी कंपनी ने, भारती स्टेशन, अंटार्कटिका से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी सहायता प्रदान करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है | आपकी कंपनी, इसरो के भू-स्टेशन में स्थित अतिरिक्त क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ सक्रियतापूर्वक विपणन कर रही है।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, उपप्रणाली, उपग्रह प्रणाली एवं परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है | भारत

में स्थित ग्राहकों के लिए सौर पैनल एवं बैटरी की सुपुर्दगी पूरी हो चुकी है | आपकी कंपनी ने, इसरो केंद्रों पर उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर भारतीय उद्योगों की परीक्षण आवश्यकताओं के लिए सुविधा प्रदान की है |

आपकी कंपनी, उपग्रह मौसमविज्ञान संबंधी आँकड़ा प्रापण एवं प्रसंस्करण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रयासरत है | आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटिना की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है | आपकी कंपनी ने नाविकयुक्त वाहन अनुवर्तन उपकरण का निर्माण भी आरंभ किया है |

प्रमोचन सेवाएँ

दो पीएसएलवी मिशन जैसे-(i) 16 सितम्बर, 2018 को यूके के 02 उपग्रह के साथ पीएसएलवी-सी 42/नोवा एसएआर-एस1-4 समर्पित मिशन एवं(ii) 29 नवम्बर, 2018 को 08 विभिन्न देशों के 30 सहयात्री उपग्रहों के साथ पीएसएलवी-सी 43/हाइसिस प्रमोचन मिशन द्वारा 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि में कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह सफलतापूर्वक प्रमोचित किए गए।

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी ने, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसोर्ससैट-2, कार्टोसैट-1, कार्टोसैट-2एस एवं ओशनसैट-2 से उपग्रह आँकड़ा उत्पादों का विपणन एवं भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह की सेवाएँ डाउनलिंक करती रही है। वर्ष के दौरान, तीन उपग्रहों से पाँच अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन प्रचालन जारी रखा गया। आपकी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के लिए एंटिना प्रणाली के नवीनीकरण हेतु संविदा लागू करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है |

आपकी कंपनी ने विश्वभर में आइआरएस उत्पादों को प्रचारित करने के लिए पाँच पुन: विक्रेता करार पर हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक पुन: विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके अलावा, एन्ट्रिक्स, विश्वव्यापी ग्राहकों के लिए मूल्य आधारित सेवाएँ एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, व्यापारिक परिचर्चा हेतु विश्वभर के कई देशों के कुल 196 प्रतिनिधियों ने एन्ट्रिक्स का दौरा किया । ऐसी आशा की जाती है कि इन दौरों से व्यापारिक संबंधों को और अधिक बल मिलेगा तथा और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे ।

बेंगलूरु अंतरिक्ष एक्सपो:

एन्ट्रिक्स ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर 6ठा बेंगलूरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी (बी.एस.एक्स), एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया | बी.एस.एक्स, एशिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष एक्सपो और अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों, जो भारतीय अंतरिक्ष परिदृश्य एवं इसके विकास की ओर देख रहे हैं, के लिए सबसे अधिक अपेक्षित सम्मेलन है | भारत में, "नव अंतरिक्ष" के उभरते हुए जिम्मेदार के तौर पर, वर्ष 2018 के बी.एस.एक्स का मूल वाक्य था, "भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी में गतिशीलता का सृजन" और यह "भारत में नव अंतरिक्ष को सुयोग्य बनाना" पर विशेष रूप से केंद्रित था |

बी.एस.एक्स. 2018 में इसरो एवं विश्व भर के उद्योगों ने भाग लिया । साथ ही, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, रूस, लिथुआनिया, थाइलैंड, यूके, यूएसए इत्यादि देश सहित कुल 15 देशों के लगभग 600 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया ।

इस तीन दिवसीय समारोह में एक प्रदर्शनी थी और एक "विश्व अंतरिक्ष-बिज़" नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल थे जिसमें वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों एवं उद्योगों से कई प्रमुख व्यक्तियों ने प्रमोचन के अवसर एवं उद्योगों के लिए भविष्य, उभरती प्रौद्योगिकी, सौर बैटरी निर्माण, अंतरिक्ष यातायात एवं अवसंरचना इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की | एक विशेष प्रयास के तहत, "मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम" पर "विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्र" का आयोजन भी किया गया |

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के पत्रांक 5/2/2016 दिनांक 27 मई, 2016

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.19 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.18 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	170,901.62	123,357.37
कुल व्यय	128,824.96	91,600.36
मूल्यह्रास एवं कर पश्चात् लाभ	**42,076.66**	**31,757.01**
घटाइए: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान घटाइए: आस्थगित कर	151.63 16,559.13 1,183.32	136.41 10,923.99 454.67
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**26,549.22**	**21,151.28**
अन्य व्यापक आय	3.64	1.08
कुल व्यापक आय	**26,552.86**	**21,152.36**
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**26,552.86**	**21,152.36**

द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹680 लाख (पिछले वर्ष ₹6700.00 लाख) के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी पर ₹8500.00 लाख लाभांश के तौर पर दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। यह 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए 32% करोपरान्त लाभ इंगित करता है ।

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत नई कंपनी बनने के बाद इसरो के वाणिज्यिक क्रियाकलाप उसी कंपनी को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस स्थिति में, एन्ट्रिक्स अंतरिक्ष व्यापार में नए अवसर और नए अनुलंब के सृजन की संभावनाएँ तलाश रही है। आज वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग 350 डॉलर का हो गया है। मॉर्गन स्टैनली एवं गोल्डमैन सच ने वर्ष 2040 तक अंतरिक्ष उद्योग को दस ख़रब डॉलर पार कर जाने की संभावना जताई है। नई प्रौद्योगिकी, लघूकरण, कम लागत और बढ़ती माँग नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक प्रमुख अंतरिक्ष उन्मुख राष्ट्र होने के नाते, भारत ने वैश्विक बाज़ार में एक प्रमुख भागीदारी पाने के लिए अपना उचित स्थान बना रखा है।

एन्ट्रिक्स, अपने आंतरिक प्रोद्भूत राशि से भारतीय एवं विदेशी अंतरिक्ष व्यापार में ₹ 500 करोड़ निवेश करने पर विचार कर रही है। यह निवेश सेवा एवं निर्माण के क्षेत्र में संविभाजित होगा। उपयुक्त व्यापार प्रारूप पर भी विचार किया जा रहा है। उपप्रणालियाँ, जिनकी छोटे उपग्रह उद्योग में माँग की संभावनाएँ अधिक हैं, उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। भारतीय उद्योगों के साथ, निर्माण/विपणन के तौर-तरीकों की संभावनाएँ तलाश की जा रही हैं।

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है। इस कारण, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते हैं।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग ने श्री पी.एस.राघवन, स्वतंत्र निदेशक, श्री कमलकांत बाली, प्रबंध निदेशक, वोल्वो समूह एवं डॉ. अजीत टी कलघाटगी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर तथा श्री आर. उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो, श्री के. सेतुरामन, उपनिदेशक, यू.आर.एस.सी एवं श्री वी. किशोरनाथ, सहनिदेशक, वी.एस.एस.सी को कंपनी के नामित निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है।

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग ने श्री संजय कुमार अग्रवाल को भी कंपनी के निदेशक (वित्त) के तौर पर नियुक्त किया है।

डॉ. एम. अन्नादुरई, दिनांक 31.07.2018 से कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो चुके हैं। श्री एस. पांडियन, दिनांक 31.07.2018 को आइ.पी.आर.सी से एस.डी.एस.सी शार स्थानांतरित होने के कारण कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो चुके हैं। श्री एस. कुमारास्वामी,

दिनांक 30.03.2019 से अपने मूल विभाग में स्थानांतरित होने के कारण कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो चुके हैं। डॉ. पी.जी दिवाकर, सेवानिवृत्त होने के कारण दिनांक 31.07.2018 से कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो चुके हैं। बोर्ड, डॉ. एम. अन्नादुरई, श्री एस. पांडियन, श्री एस. कुमारास्वामी एवं डॉ. पी.जी दिवाकर के कंपनी के निदेशक के तौर पर अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

i. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा विधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

वर्ष 2018-19 के लिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने कंपनी को "उत्कृष्ट" की संज्ञा दी है। कंपनी ऐसा मानती है कि कॉर्पोरेट शासन, व्यापार के उत्तम व्यवहार से संबंधित है जिसे कंपनी के मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य प्रणाली, नैतिक व्यापार व्यवहार, कानून एवं अधिनियमों का अनुपालन करते हुए संगठन की संस्कृति में आत्मसात् करना है। कंपनी, अपने काम-काज में पारदर्शिता और संगठन के आत्माभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने पर ज़ोर देकर अपने दावेदारों के दीर्घावधि मूल्यों को ऊँचे स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी, समय-समय पर, कॉर्पोरेट शासन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के उत्तम प्रचलनों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करती है।

प्रशिक्षण एवं अभिवृद्धि

वर्ष के दौरान, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रतिभा परिमार्जित होगी एवं उनकी जीवन-वृत्ति में प्रगति हो सकेगी।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं. 40 के तौर पर संलग्न है। संबंधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे और इस हेतु नामित प्राधिकारी द्वारा पूर्व-अनुमोदित थे। इण्ड ए.एस में यदि कोई विचलन हुआ है, तो निदेशकों द्वारा शेयरधारकों को बतला दिया गया है।

सतर्कता प्रक्रिया

दिनांक 28 जनवरी, 2019 को आयोजित 113 वीं बैठक में निदेशक-मंडल द्वारा सूचना प्रदाता नीति अपनाई गई।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है। हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। कंपनी की प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्ति नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है।

प्रतिवेदन-काल के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट, सनदी लेखाकार द्वारा किया गया है। इससे प्रणाली एवं नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उनकी रिपोर्ट की समीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षण समिति द्वारा भी की गई है। की गई सुधार-कार्रवाई के साथ आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट की परिचर्चा प्रबंधन के साथ हुई है जिसकी बोर्ड की लेखापरीक्षण समिति ने समीक्षा की है। लेखापरीक्षण समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है।

बोर्ड की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है ।

बोर्ड-समिति

बोर्ड ने तीन स्थाई समितियों यथा-लेखापरीक्षण समिति, नामकरण एवं पारिश्रमिक समिति तथा सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का गठन किया है। बोर्ड, व्यापारिक ज़रुरतों के मद्देनज़र, समय-समय पर, अतिरिक्त प्रकार्यात्मक समिति का गठन करता है।

कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, समीक्षाधीन वित्त वर्ष में, बोर्ड-स्तरीय उपसमिति की नियमित बैठक आयोजित नहीं हो पाई थी।

बोर्ड एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमश: बोर्ड की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए उपयोग करती है । कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

लैंगिक उत्पीड़न नीति

आपकी कंपनी ने, कार्यस्थल पर नारी की लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 एवं उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आंतरिक समिति का गठन किया है। कंपनी, कार्यस्थल पर नारी की लैंगिग उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत दर्ज़ कराने की प्रक्रिया वाली नीति अपनाती है। यह नीति, कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा और ऐसी शिकायतों की रोकथाम एवं सुनवाई प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस नीति के तहत कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

वार्षिक विवरणी सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा 134(3)(ए) के अनुरूप एम.जी.टी.-9 फॉर्म में वार्षिक विवरणी सार संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, पठ्य कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) समिति की स्थापना की है जिसमें डॉ. अजीत टी कलघाटगी, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री वी किशोरनाथ, एसोशिएट निदेशक, वी.एस.एस.सी. एवं निदेशक एन्ट्रिक्स तथा श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), सदस्य के रूप में शामिल हैं । कंपनी की सी.एस.आर नीति के निर्धारण एवं निगरानी के लिए और सी.एस.आर पहल के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार और अनुमोदन करने के लिए समिति उत्तरदायी है। सी.एस.आर क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 19 जुलाई, 2018 के पत्र सं. सीए.वी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1)98 द्वारा मेसर्स राव एसोशिएट, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु, इसरो/अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल 15 स्थाई कार्मिक [वर्ग क: व्यापार खण्ड - 06; वर्ग क: (प्रशासन) - 04; वर्ग ख: (प्रशासन) - 04;वर्ग ग: (प्रशासन) - 01] कार्यरत हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति चार थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स में, बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है और विभिन्न प्रक्रियायों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की चर्चा आंतरिक समीक्षा

बैठक एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन बैठक में की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना **शून्य** है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग करती रही है।

राजभाषा का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो, इसलिए सभी चारों अनुभागों यथा - लेखा, प्रशासन, क्रय एवं व्यापार खण्ड को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक उपयोग करने का दायित्व सौंपा गया है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है । प्रभावी निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्मिकों के बीच द्विभाषी शब्दावली और शब्द एवं मुहावरे की पुस्तिका परिचालित की गई है। कार्मिकों के हित में 'आज के शब्द और आज के विचार' श्रृंखला की शुरुआत की गई है। ये परिशिष्ट, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायक सिद्ध होंगे।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा तय समय-सारणी के अनुरूप वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली बैठक में स्वयं भाग लिया है। कंपनी ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक चार बार आहूत की जिसमें कार्यसूची के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

आपकी कंपनी ने 04 कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण-सत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है जिससे कार्मिकों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने में लाभ हुआ है और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्मिक विविध द्विभाषी प्रपत्र अपने उपयोग में लाते हैं और अपना हस्ताक्षर हिन्दी में करते हैं।

आपकी कंपनी की वेबसाइट हिन्दी और अँगरेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक निरीक्षण का कार्य संपन्न हो चुका है।

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेती रही है। वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी को नगर राजभाषा

एन्ट्रिक्स को वर्ष 2018-19 के लिए श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से प्रथम पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र प्राप्त

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं :

	राशि ₹ लाख में		
विदेशी मुद्रा अर्जन राशि	**एफ ई (यूएसडी)**	**राशि एफ ई (यूरो)**	**₹ लाख में**
निर्यात	0.09	-	6.61
तकनीकी परामर्शिता	7.33	-	504.63
प्रमोचन सेवाएँ	9.58	385.98	31,771.73
अन्य सेवाएँ	1.31		93.30
कुल	**18.31**	**385.98**	**32,376.27**
विदेशी मुद्रा निर्गम	**एफ ई (यूएसडी)**	**राशि एफ ई (यूरो)**	**₹ लाख में**
यात्रा	0.03	0.10	10.88
आयात की लागत	5.68	0.37	422.42
तकनीकी सेवाओं की लागत	812.16	-	56,686.96
अन्य सेवाओं के एवज़ में (विधिक)	0.50	-	34.49
अन्य भुगतान के एवज़ में	6.08	0.06	424.43
कुल	**824.45**	**0.53**	**57,579.18**

कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा **"राजभाषा के उत्तम क्रियान्वयन"** के लिए **"प्रथम पुरस्कार"** के रूप में चल-वैजयंती एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया है।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(राकेश एस)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

विषय: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	**<u>जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता</u>** "हम एकाकी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से ₹2,46,262.50 लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करती है] के दावे के बारे में नोट सं 44(i)(क)(iii) एवं 46(xii) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।"	आइसीसी के मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु में लंबित है। बेंगलूरु या दिल्ली न्यायालय के न्यायक्षेत्र में मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती के आधार में अन्य बातों के साथ-साथ आइसीसी न्यायाधिकरण का न्यायक्षेत्र, क्षतिपूर्ति के निर्णय का परिमाण एवं अन्य कानूनी सिद्धांत जैसे भारतीय कानून का उल्लंघन एवं सार्वजनिक नीति का विरोध शामिल है। इन आधारों पर, ऐसी उम्मीद की जाती है कि मध्यस्थता निर्णय रद्द किया जाएगा।
2	**<u>कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट</u>** "कंपनी द्वारा अद्यतित दर में शामिल निर्धारित अंतरण के आधार पर टैली ईआरपी पद्धति अप्राप्य लाभ की गणना करती है। कंपनी, वर्ष के अंत में, विदेशी प्राप्तियों/विदेशी देयताओं पर अप्राप्य विदेशी लाभ या हानि की गणना भौतिक आधार पर करती है और उसी का लेखा-जोखा रखती है। वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करते समय, स्वत: बनने वाली प्रविष्टियाँ, प्रविष्टि की स्वत: संख्या के लिए निर्दिष्ट संबंधित लेखा में प्रतिक्रमित हो जाती है। स्वत: बनने वाली प्रविष्टियाँ, कंपनी की विदेशी देयताओं/प्राप्तियों के ग़लत विवरण का कारण बन सकती हैं और साथ-साथ इसके लाभ को भी प्रभावित कर सकती है यदि भौतिक हस्तक्षेप नहीं हो।	सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी समस्या है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2018-19 की लेखा के समापन से पहले इसे संबोधित नहीं किया जा सका। कंपनी इसके लिए सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता की सेवा लेने की प्रकिया में है। सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता से विचार-विमर्श के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान समस्या निर्धारित की जाएगी और सॉफ्टवेयर असमायोजित विदेशी मुद्रा के लाभ/हानि की गणना रोक देगी।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त रिपोर्ट

कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. निदेशकमंडल

(i) **निदेशकों की संरचना एवं श्रेणी, उदाहरणस्वरूप- प्रवर्तक, कार्यपालक, ग़ैर-कार्यपालक, स्वतंत्र ग़ैर-कार्यपालक, नामित निदेशक**

एन्ट्रिक्स के निदेशकमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक - पूर्णकालिक
निदेशक (वित्त) - पूर्णकालिक
दो (2) सरकार नामित निदेशक
तीन (3) इसरो से नामित निदेशक

(ii) **बोर्ड की बैठक एवं अंतिम ए.जी.एम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति**

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	उपस्थिति
1.	श्री राकेश शशिभूषण	बोर्ड की बैठक - 05 ए.जी.एम - 01
2.	डॉ. एम. अन्नादुरई	बोर्ड की बैठक - 02
3.	श्री एस. कुमारास्वामी	बोर्ड की बैठक - 04 ए.जी.एम - 01
4.	श्री सी.एम. साने	बोर्ड की बैठक - 05 ए.जी.एम - 01
5.	डॉ. पी.जी. दिवाकर	बोर्ड की बैठक - 01
6.	श्री एस. पांडियन	बोर्ड की बैठक - 01
7.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	बोर्ड की बैठक - 02

(iii) **अन्य बोर्ड की समितियों की संख्या जिसमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं**

उपर्युक्त कोई भी निदेशक किसी अन्य कंपनी में निदेशक के पद पर आसीन नहीं हैं।

(iv) **बोर्ड की आयोजित बैठक की संख्या एवं आयोजन की तिथि**

आयोजित की गई बोर्ड की बैठक में शामिल निदेशकों की उपस्थिति-सारणी निम्नवत् हैं:

बैठक की तिथि	बैठक सं.	स्थान	शामिल पदाधिकारीगण
30.05.2018	110	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय	श्री राकेश शशिभूषण डॉ. एम. अन्नादुरई श्री एस. कुमारास्वामी श्री सी. एम.साने डॉ. पी.जी. दिवाकर
16.07.2018	111	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय	श्री राकेश शशिभूषण डॉ. एम. अन्नादुरई श्री एस. कुमारास्वामी श्री सी.एम. साने श्री एस. पांडियन
30.10.2018	112	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय	श्री राकेश शशिभूषण श्री सी.एम.साने

28.01.2019	113	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय	श्री राकेश शशिभूषण श्री एस. कुमारास्वामी श्री सी.एम.साने श्री संजय कुमार अग्रवाल
19.03.2019	114	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय	श्री राकेश शशिभूषण श्री एस. कुमारास्वामी श्री सी.एम.साने श्री संजय कुमार अग्रवाल

(v) **नए निदेशक की नियुक्ति/निदेशक की पुन: नियुक्ति की स्थिति में निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाए :**

(क) निदेशक का संक्षिप्त परिचय

(ख) विशिष्ट कार्यक्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति; एवं

(ग) कंपनी का नाम जिसमें वह निदेशक का पदभार सँभाल रहे हैं एवं बोर्ड की समिति की सदस्यता

क्रम सं.	**निदेशकों के नाम**	**संक्षिप्त परिचय**
1.	श्री आर उमामहेश्वरन	वे अभी वैज्ञानिक सचिव, इसरो हैं। वे, अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निदेशक हैं। उन्होंने, किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद/ सदस्यता ग्रहण नहीं किया है।
2.	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	वे अभी अंतरिक्ष विभाग की संयुक्त सचिव हैं। वे, अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त सरकारी निदेशक हैं। उन्होंने, किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद/ सदस्यता ग्रहण नहीं किया है।
3.	श्री वी किशोरनाथ	वे अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वी.एस.एस.सी), इसरो, तिरुवनंतपुरम के सह निदेशक हैं। वे, अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निदेशक हैं। उन्होंने, किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद/सदस्यता ग्रहण नहीं किया है।
4.	श्री के सेतुरामन	वे अभी यू.आर.राव उपग्रह केंद्र (यू.आर.एस.सी), बेंगलूरु के उप निदेशक हैं। वे, अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निदेशक हैं। उन्होंने, किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद/सदस्यता ग्रहण नहीं किया है।

3. **लेखापरीक्षण समिति:**

वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के कारण लेखापरीक्षण समिति का गठन नहीं हुआ। वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4. **पारिश्रमिक समिति:**

वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं हुआ।

5. **आम सभा बैठक:**

(i) **पिछली तीन ए.जी.एम का समय और स्थान**

क्र.सं.	**ए.जी.एम**	**तिथि/समय**	**स्थान**
1.	ई.जी.एम	15 फरवरी 2018 अपराह्न 12.00 बजे	अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड
2.	26 वॉं ए.जी.एम	26 सितम्बर 2018 3.00 बजे दोपहर	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेट कार्यालय
3.	25 वॉं ए.जी.एम	30 सितम्बर 2017 11.30 बजे प्रात:	अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड
4.	24 वॉं ए.जी.एम	23 सितम्बर 2016 11.30 बजे प्रात:	अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड

(ii) **क्या पिछली तीन ए.जी.एम में कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुए हैं।**

दिनांक 30 सितम्बर, 2017 की 25 वीं बैठक में तीन विशेष प्रस्ताव पारित हुए थे।

(क) कंपनी की संस्था विधान में संशोधन

(ख) शेयर की पुन: ख़रीदारी

(ग) लाभांश (बोनस) शेयर का निर्गमन

(iii) **वर्तमान वर्ष की ए.जी.एम : तिथि, समय एवं स्थान - निर्णयाधीन**

6. **प्रकटीकरण:**

i. वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने, अपनी सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को छोड़कर प्रवर्तकों, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक अंतरण नहीं किया है।

ii. वार्षिक तौर पर, सांविधिक अनुपालन संबंधी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। किसी भी सांविधिक प्राधिकार द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है।

iii. सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है।

iv. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी, समय-समय पर आवश्यकताओं का अनुपालन करती रही है।

v. यह तय है कि इस वित्त वर्ष के दौरान एवं पिछले तीन वर्षों में भी केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्षीय निर्देश जारी किए गए।

vi. यह तय है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों पर किए गए व्यय के सिवाय लेखा में नामे किए गए व्यय के मद केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हैं।

vii. निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन पर हुए व्यय के अतिरिक्त कोई भी वैयक्तिक व्यय नहीं किए गए हैं।

viii. प्रशासनिक एवं कार्यालय मद में पिछले वर्ष के कुल 5.13% व्यय की तुलना में इस वर्ष के व्यय 4.12% रहे हैं।

7. **संचार माध्यम:**

सभी संबंधित सूचनाएँ कंपनी की वेबसाइट, www.antrix.co.in पर उपलब्ध हैं।

8. **जोख़िम प्रबंधन समिति**

कंपनी की बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

9. **लेखापरीक्षण योग्यता**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ संलग्न है।

10. **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण**

बोर्ड के सदस्यगण के पास अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त योग्यता एवं प्रचुर अनुभव हैं। कंपनी, समय-समय पर, आवश्कतानुसार इन्हें विषयगत प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करती रही है।

11. **सूचना प्रदाता नीति:**

दिनांक 28 जनवरी, 2019 की 113 वीं बैठक में निदेश कमंडल द्वारा सूचना प्रदातानीति स्वीकार की गई थी।

फॉर्म सं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सी.आइ.एन.:- U85110KA1992GOI013570

ii) पंजीकरण तिथि: 28 सितम्बर, 1992

iii) कंपनी का नाम: एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv) कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग: शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण:

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल.रोड
बेंगलूरु-560094

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है : नहीं

vii) निबंधक एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हों - लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप :

कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) के 10 % या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा:-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एनआइसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) का प्रतिशत
1	दूर-संचार एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी सेवाएँ	99833254	54.60
2	भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएँ	99831414	-
3	अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ	99653200	44.85

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण-

शून्य

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी विवरणी):

(i) वर्गानुरूप शेयर धारिता (लाख में)

शेयरधारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डं) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उप-जोड़ (ए)(1):-	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0
(2) विदेशी									
क) आप्रवासी भारतीय वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(ए)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए)= (ए)(1)+(ए) (2)	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1.संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार/राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आइ.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूँजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(बी)(1):-									
2. गैर-संस्थागत									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपए तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपए से अधिक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(बी)(2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए+बी+सी)	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**

(ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता (लाख में)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	6.80	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	0
	कुल	6.80	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	0

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) (लाख में)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	6.80	100%	6.80	100%
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/ अंतरण/ अधिलाभ/ स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	6.80	100%	6.80	100%

(iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयरधारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर एवं ए.डी.आर के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा:

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	पहले 10 प्रत्येक शेयरधारकों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/ अंतरण/ अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			

	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/ अंतरण/ अधिलाभ/ स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. **ऋणग्रस्तता**

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	**शून्य**			
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. **निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक**

ए. **प्रबंध निदेशक, पूर्णलालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:**

क्र. सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम**				**कुल राशि**
		सीएमडी	**डीएफ**	**ईडी(प्र)**	**----**	
1.	सकल वेतन क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	40,64,166 6,47,418	7,93,622 1,43,046	-		48,57,788 7,90,464
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	स्वेट इक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के %के रूप में - अन्य, उल्लेख करें।					

5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल (ए)	47,11,584	9,36,668	-		56,48,252
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन					

बी. अन्य निदेशकगण के लिए पारिश्रमिक:

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भागलेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें			
	कुल (1)			
	2. अन्य ग़ैर-सरकारी निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें			
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी)=(1+2)	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	56,48,252
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी/प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति			
		सीईओ	**कंपनी सचिव**	**सीएफओ**	**कुल**
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट इक्विटी				
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल				

VII. शास्ति/दंड/संयोजित अपराध:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति/दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी/ एन.सी.एल.टी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति					
दंड					
संयोजित					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
संयोजित					
सी .भुगतान नहीं करने वाले अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
संयोजित					

परिशिष्ट-1

वर्ष 2018-19 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार)

वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा एवं एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों से संबंधित वेबलिंक का संदर्भ :

एन्ट्रिक्स के सी.एस.आर कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत का उद्भव सामाजिक संदर्भ के क्रियाकलापों/कार्यक्रमों जो दीर्घकालिक, सामाजिक रूप से स्वीकार्य एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन द्वारा समाज के संपूर्ण विकास में योगदान देने की दूरदर्शिता के साथ हुआ है।

एन्ट्रिक्स ने स्वास्थ्य-देखभाल,शिक्षा,पेयजल,ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण,नारी सशक्तता, कौशल विकास, दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में कई क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया है। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर. गतिविधियों को मुख्य केंद्रबिंदु दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है जिससे कालावधि विशेष में लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक संपन्नता के अभिवर्धन से समुदायों को लाभ मिले।ये सी.एस.आर कार्यक्रम एन.जी.ओ., न्यासों एवं सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर लागू किए गए हैं।

संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ,कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे के भीतर ही होती हैं और डी.पी.ई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं। कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ परिशिष्ट में उल्लिखित हैं:

1) **सी.एस.आर समिति का स्वरूप:**

कंपनी की अपनी मंडल-स्तरीय सी.एस.आर समिति है जो कंपनी की सी.एस.आर नीति के क्रियान्वयन के सर्वेक्षण एवं सी.एस.आर क्रियाकलापों के तहत संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है। इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं :

डॉ. अजीत कलघाटगी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री वी. किशोरनाथ, सह-निदेशक, वी.एस.एस.सी. एवं निदेशक, एन्ट्रिक्स	सदस्य
श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक, वित्त	सदस्य

2) **वित्तीय विवरणी :**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है या व्यापार ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसे यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त औसतन शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% अपनी सी.एस.आर नीति के अनुपालन पर ख़र्च करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर से संबंधित निर्धारित प्रावधान एन्ट्रिक्स के लिए लागू हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित विवरण निम्नवत् हैं:

क्र. सं	विवरण	राशि (₹ लाख में)
1.	पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ	33,857.50
2.	निर्धारित सी.एस.आर व्यय (उपर्युक्त संराशीकृत औसतन शुद्ध लाभ का 2%)	677.15
3.	वर्ष 2018-19 के दौरान सी.एस.आर के लिए व्यय की जाने वाली राशि	677.15
4.	व्यय की गई राशि	688.92
5.	व्यय नहीं की गई राशि	(11.77)

(ग) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका - अनुलग्नित

(घ) एन्ट्रिक्स, सी.एस.आर निधि के लिए अलग से एक बैंक खाता खोले हुए है और विगत वर्ष के दौरान सी.एस.आर हेतु आबंटित राशि से व्यय नहीं की गई राशि, भविष्य के सी.एस.आर भुगतान के लिए अग्रेनीत की जाती है।

(ङं) यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2% या उसका कोई अंश व्यय करने में असमर्थ रहती है तो वह अपने मंडल की रिपोर्ट में राशि के व्यय नहीं होने के कारणों का उल्लेख करेगी - लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्त वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2% ख़र्च कर दिया है।

(च) सी.एस.आर समिति से एक जवाबदेह उद्धरण कि सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर के लक्ष्यों एवं नीति के अनुरूप हो रहे हैं|

हम एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर के लक्ष्यों एवं नीति के अनुरूप हो रहे हैं।

हस्ता/-

(डॉ. अजीत कलघाटगी)

अध्यक्ष, सी.एस.आर समिति

स्थान: बेंगलूरु

तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

सी.एस.आर. क्रियाकलाप

श्री पोन राधाकृष्णन, माननीय वित्त एवं नौवहन राज्यमंत्री, सीएमडी, एन्ट्रिक्स एवं निदेशक, आइपीआरसी, नागरकोइल, तमिलनाडु में दिव्यांग जनों के लिए उपकरण वितरण के दौरान

श्री राकेश शशिभूषण, सीएमडी, एन्ट्रिक्स, सरकारी एल.पी विद्यालय, कुट्टूर, केरल में डिजीटल स्मार्ट कक्षा सुविधा का उद्घाटन करते हुए

श्री संजय अग्रवाल, निदेशक (वित्त), आइजीआइसीएच अस्पताल, बेंगलूरु में सीएसआर के तहत पाँवफिरा रोग से ग्रस्त 150 बच्चों के उपचार के लिए क्योर इंडिया को चेक सौंपते हुए

श्री राकेश शशिभूषण, सीएमडी, कृमि वानस्पतिक खाद को आय अर्जन क्रियाकलाप के तौर पर अपनाए जाने के लिए लाभार्थी एवं बीएआइएफ पदाधिकारियों के साथ बात करते हुए

वित्तीय वर्ष 2018-19 में परियोजनाएँ एवं शीर्ष जिनके अंतर्गत सी.एस.आर लागत राशि व्यय की गई निम्नलिखित हैं (₹ लाख में)

(₹ लाख में)

क्र. सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल क्षेत्र	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान : (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और ज़िला	लागत-राशि	विगत वर्ष व्यय की गई राशि	परियोजना/कार्यक्रम पर व्यय राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा
						प्रत्यक्ष व्यय	अतिरिक्त व्यय		
1	काडपात्रा के डामराया एवं पेरनाडु गाँव में 2 शिरोपरि टंकी का निर्माण	पेय जल	नेल्लूरु ज़िला, आंध्रप्रदेश	45.76	40.00	5.76		45.76	एजेंसी : एसडीएससी शार/ इसरो
2	कवलकिनारु गाँव में शिरोपरि टंकी एवं पेयजल आपूर्ति के लिए हौद का निर्माण	पेय जल	तिरुनेलवेली ज़िला, तमिलनाडु	73.30	44.90	28.40		73.30	एजेंसी : आइपीआरसी/ इसरो
3	श्रीहरिकोटा द्वीप सुलुरुपेटा, टाडा, सतराम मंडल में दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम साधन एवं सहायक उपकरण का वितरण	समाज कल्याण	नेल्लूरु ज़िला, आंध्रप्रदेश	93.61	65.52	28.08		93.61	एजेंसी : एलिमको, सीपीएसयू
4	नागरकोइल में कृत्रिम साधन, उपकरण का आकलन एवं वितरण	समाज कल्याण	कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु	124.48	85.84	38.09		123.93	एजेंसी : एलिमको, सीपीएसयू
5	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिए योगदान	समाज कल्याण	अखिल भारत	5.00		5.00		5.00	एजेंसी : रक्षा मंत्रालय
6	सिरा ताल्लुक के ब्रम्मसांद्रा गाँव में आदर्श ग्राम विकास	ग्राम विकास	तुमकूरु ज़िला, कर्नाटक	381.13	161.55	71.37		232.91	एजेंसी : बीएआइएफ, एनजीआ
7	तेलंगाना के शादनगर के 'अन्नरम गाँव' में ग्रामीण सड़क संयोजन प्रदान करना	ग्राम विकास	शादनगर, तेलंगाना	150.00	75.00	56.37		131.37	एजेंसी : एनआरएससी/ इसरो
8	ग्रामीण महिलाओं के लिए दीर्घकालिक जीवनयापन अवसरों का सृजन-प्रगतिशील महिला संस्था	ग्राम विकास	बागलकोट एवं धारवाड़ ज़िला, कर्नाटक	33.00	19.80	13.20		33.00	एजेंसी : महिला संरक्षण संस्था एवं गो-कूप
9	सरकारी विज्ञान महाविद्यालय हासन में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना	शिक्षा	हासन ज़िला, कर्नाटक	60.00	30.00	30.00		60.00	एजेंसी : एमसीएफ/ इसरो
10	सीएमजी, इसरो मुख्यालय द्वारा सारक्कल विल्लइ, कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु में सरकारी प्राथमिक पाठशाला का कायाकल्प	शिक्षा	कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु	48.00		48.00		48.00	एजेंसी : आइपीआरसी/ इसरो
11	सरकारी उच्च विद्यालय, कवलकिनारू में वर्तमान भवन, विद्युतीय कार्य, सौर ऊर्जा प्रणाली, कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण, साइकिल पड़ाव एवं चारदीवारी जीर्णोद्धार	शिक्षा	कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु	42.66	42.93	-0.27		42.66	एजेंसी : आइपीआरसी/ इसरो
12	डोड्डबल्लपुर में विद्यालय शौचालय एवं चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	बेंगलूरु ग्रामीण ज़िला, कर्नाटक	34.77		28.84		28.84	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीआ

13	कूडूर में सरकारी निम्न प्राथमिक पाठशाला में कक्षा का निर्माण	शिक्षा	अडूर ज़िला, केरल	16.85		16.85		16.85	एजेंसी : सीएमजी/ इसरो मु.
14	प्रेरणा विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय वाहन प्रदान करना	शिक्षा	वायनाड ज़िला, केरल	13.05		13.05		13.05	एजेंसी: मानव सेवा कल्याण न्यास
15	सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पननगुडी में वर्तमान शौचालय सुविधाओं का विस्तार और जीर्णोद्धार	शिक्षा	तिरुनेलवेली ज़िला, तमिलनाडु	4.75	5.15	-0.40		4.75	एजेंसी : आइपीआरसी/ इसरो
16	केंद्रीय विद्यालय, एनएएल, बेंगलूरु में विद्यालयीन फर्नीचर की आपूर्ति	शिक्षा	बेंगलूरु ज़िला, कर्नाटक	3.40		3.40		3.40	एजेंसी : यूआरएससी/ इसरो
17	कोडुरु, शिवमोग्ग में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शैक्षणिक सहायता के लिए व्यय	शिक्षा	शिवमोगा ज़िला, कर्नाटक	4.88		4.88		4.88	एजेंसी : सीएमजी/ इसरो मु.
18	राजा केशवदास एनएसएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय शौचालय का निर्माण	शिक्षा	तिरुवनंतपुरम ज़िला, केरल	0.98	0.49	0.49		0.98	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
19	मुंबई की मलीन बस्ती के 95 निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान - एमके शिक्षण संस्था	शिक्षा	मुंबई ज़िला, महाराष्ट्र	4.32		4.32		4.32	एमके शैक्षणिक संस्था
20	वेनलॉक सरकारी अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	मेंगलूरु ज़िला, कर्नाटक	29.64	26.67	2.96		29.64	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीआ
21	सरकारी ज़िला अस्पताल, कोप्पल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	कोप्पल ज़िला, कर्नाटक	31.27	28.14	3.13		31.27	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
22	ज़िला अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	धारवाड़ ज़िला, कर्नाटक	30.53	-	17.78		17.78	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
23	ज़िला सरकारी अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	कारवार ज़िला, कर्नाटक	31.27	28.14	3.13		31.27	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
24	सरकारी ज़िला अस्पताल, रामनगर में शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	रामनगर ज़िला, कर्नाटक	51.22	30.73	20.49		51.22	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
25	चालुवम्भा ज़िला अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव	स्वास्थ्य देखभाल	मैसूरु ज़िला, कर्नाटक	31.25	28.12	3.12		31.25	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ

26	बेलगावी ज़िला अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	बेलगावी ज़िला, कर्नाटक	31.25	6.25	25.00		31.25	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
27	कलबुर्गी चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	कलबुर्गी ज़िला, कर्नाटक	30.00		30.00		30.00	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
28	के.आर. अस्पताल, मैसूरु में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव	स्वास्थ्य देखभाल	मैसूरु ज़िला, कर्नाटक	30.00		6.00		6.00	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
29	सरकारी सार्वजनिक अस्पताल, शाहपुर, यादगीर ज़िला में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	यादगीर ज़िला, कर्नाटक	30.00		6.00		6.00	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
30	श्रवणहीन बच्चों के लिए श्रवणयंत्र उपचारित करना	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल कर्नाटक	32.00		23.83		23.83	एजेंसी: एलिमको, सीपीएसयू
31	पाँवफिरा रोग से ग्रसित बच्चों का उपचार	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल कर्नाटक	15.00	5.76	6.21		11.97	एजेंसी: क्योर इंटर इंडिया न्यास एवं आइजीआइसीएच
32	चिकित्सीय सहयोग	स्वास्थ्य देखभाल	एर्नाकुलम ज़िला, केरल	1.00		1.00		1.00	एजेंसी: बाल सहायता संस्था, एनजीओ
33	हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	किन्नौर ज़िला, हिमाचल प्रदेश	4.98		4.98		4.98	एजेंसी: कोशिश एक आशा, एनजीआ
34	पुलिस बाज़ार, शिलौंग में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	शिलौंग, मेघालय	15.00		6.35		6.35	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
35	मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स एवं रि-भोइ ज़िला के कुछ भागों के विद्यालयों में जलशुद्धिकरण संयंत्र, वैज्ञानिक कैलेण्डर, सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना	स्वच्छ भारत मिशन	रि-भोइ ज़िला, मेघालय	46.00	7.00			7.00	एजेंसी : एनईसैक/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
36	मेलवा गाँव, राजस्थान में पहले चरण में, 126 घरेलू शौचालय एवं 4 सामुदायिक शौचालय तथा सामुदायिक बैठका का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	जोधपुर ज़िला, राजस्थान	49.40	29.64	19.76		49.40	एजेंसी: आरआरएसएससी, जोधपुर/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
37	जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ ज़िला में घरेलू शौचालय का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	कठुआ ज़िला, जम्मू एवं कश्मीर	37.00		29.60		29.60	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ

38	मेलवा गाँव, जोधपुर ज़िला, राजस्थान में दूसरे चरण में, 126 घरेलू शौचालय एवं 4 सामुदायिक शौचालय तथा सामुदायिक बैठका का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	जोधपुर ज़िला, राजस्थान	30.65		18.39		18.39	एजेंसी : आरआरएसएससी, जोधपुर/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
39	स्वच्छ गंगा-योगदान	स्वच्छ भारत मिशन	गंगा नदी तलहटी	5.00		5.00		5.00	एजेंसी:जलशक्ति मंत्रालय
40	स्वच्छता कार्यक्रम पर सीएसआर क्रियाकलापों का आकलन अध्ययन	स्वच्छ भारत मिशन	अखिल कर्नाटक	1.57			1.57	1.57	एजेंसी : टेरी, एनजीओ
41	वेम्बनाड, केरल में दलदल संरक्षण कार्यक्रम	पर्यावरण	एलेप्पी ज़िला, केरल	272.72	45.24	41.95		87.19	एजेंसी: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अनुसंधान हेतु अशोका न्यास (एत्री) -एनजीओ
42	सीएसआर क्रियाकलापों, टीए एवं दूरभाष व्यय से संबंधित व्यय	अतिरिक्त व्यय		0.79			0.79	0.79	प्रत्यक्ष
43	निदेशक सीएसआर से संबंधित वेतन	अतिरिक्त व्यय		16.44			16.44	16.44	प्रत्यक्ष
	कुल			**1,993.92**	**806.89**	**670.12**	**18.80**	**1,495.81**	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

मत

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं तब समाप्त हुए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (अब से "स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी" के रूप में मान्य) ।

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 में यथावर्णित, पठ्य 31 मार्च, 2019 तक कंपनी की परिस्थिति संबंधी कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015, इसकी वित्तीय आय, नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की इक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है ।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (एस.ए) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है । उन मानकों के अंतर्गत *वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खण्ड* के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है । भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है । हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह अपना मंतव्य देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता

हम स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से ₹2,46,262.50 [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं 44(i)(क)(iii) एवं 46(xii) के ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं | जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है | इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है |

तथ्यात्मक महत्ता

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) नोट संख्या 54 एवं 55-ग्राहकों/विक्रेताओं से बाकी बची शेषराशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं ग्राहकों/विक्रेताओं के पास बची शेष राशि के साथ मिलान करने पर पड़ने वाला प्रभाव |

(ख) नोट संख्या 44(i)(क)(i)के साथ पठ्यनोट संख्या 56-विवादित कर से संबंधित कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए संभावित ब्याज/शास्ति शामिल नहीं करने के बारे में |

इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं | अन्य सूचनाओं में प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट की अनुसूची सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारक संबंधी सूचना शामिल हैं, परन्तु स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी और उसके साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व दूसरी सूचना को पढ़ना है, और, ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि अन्य सूचना स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण के दौरान हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा ग़लत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है |

अगर, अपने द्वारा किए गए काम के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई ग़लतबयानी हुई है,

तो हमें उस तथ्य को उजागर करने की आवश्यकता है। हमें इस बारे में कुछ भी उल्लेख करना नहीं है।

अन्य बातें

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के इण्ड ए.एस. स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण के भाग के तौर पर, हमने नोट सं 60 में वर्णित समायोजन को भी लेखापरीक्षित किया जो दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए पिछले वर्ष भी कंपनी की वित्तीय विवरणी में सुधार और पुनरुक्ति के लिए लागू किए गए थे। हमारे विचार से, ऐसे समायोजन उपयुक्त हैं और ठीक ढंग से लागू किए गए हैं। हम, समायोजन को छोड़कर, उपरिवर्णित पिछले वर्ष की वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण, समीक्षा या कोई अन्य पद्धति लागू करने में शामिल नहीं रहे थे तदनुसार, कुल मिलाकर, उपरिवर्णित पिछले वर्ष की वित्तीय विवरणी पर हम अपना मत या अन्य किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकते।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन एवं शासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित भारतीय लेखाविधि मानकों के साथ-साथ सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांत के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखाविधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड.ए.एस. भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक ग़लत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त इण्ड.ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए कंपनी का निदेशक-मंडल जिम्मेदार है, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी वित्तीय विवरणी आर्थिक ग़लत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक ग़लतविवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है। ग़लतविवरण का उद्भव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक ग़लत विवरण से जोख़िमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़लत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोख़िम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।
- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।
- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि

आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।
- प्रकटीकरण एवं क्या वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इसतरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके सहित वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में ग़लत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित ग़लत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखा परीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़लत प्रभाव पड़ने वाला है जिससे सार्वजनिक हित लाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "परिशिष्ट-ख" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है।
   (ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है।
   (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133, में जारी संबंधित पठ्य अधिनियमों के अनुरूप है।
   (ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान एवं अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित मामले दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है।
   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "परिशिष्ट-क" में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं

परिचालन प्रभावोत्पादकता पर विशिष्ट मत व्यक्त करता है ।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

i. कंपनी ने अपनी स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों में पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 46 का संदर्भ लें ।

ii. कंपनी दीर्घावधि संविदा में शामिल नहीं हुई है जहाँ लागू होने वाले नियम या लेखाविधि मानकों के तहत यथापेक्षित आर्थिक हानि जिसकी स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में प्राप्यता की आवश्यकता है । इसके अलावा, कंपनी किसी व्युत्पन्न संविदा में भी शामिल नहीं हुई है ।

iii. कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए ।

कंपनी की लेखा और अभिलेख की जाँच के आधार पर, जिसे हम उचित मानते हैं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश एवं उपनिर्देश के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) की शर्तों के अनुरूप, हम "परिशिष्ट-ग" के तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ।

कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक:30/10/2019
यूडीआइएन:19026171एएएडीएफ1910

"अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के परिशिष्ट "क" से संबंधित 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा-संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय लेखा के लेखा परीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशानिर्देश नोट) पर आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे, और सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए थे, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोख़िम का आकलन करना और आकलित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लतबयानी से उत्पन्न जोख़िम का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के वित्तीय नियंत्रण से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। और,(3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित

परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोख़िम भरा है। इस कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

विशिष्ट मंतव्य का आधार

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2019 तक अधोलिखित वस्तुपरक कमी की पहचान की गई है:

कंपनी द्वारा अद्यतित दर में शामिल निर्धारित अंतरण के आधार पर टैली ईआरपी पद्धति अप्राप्य लाभ की गणना करती है। कंपनी, वर्ष के अंत में, विदेशी प्राप्तियों/ विदेशी देयताओं पर अप्राप्य विदेशी लाभ या हानि की गणना भौतिक आधार पर करती है और उसी का लेखा-जोखा रखती है। वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करते समय, स्वत: बनने वाली प्रविष्टियाँ, प्रविष्टि की स्वत: संख्या के लिए निर्दिष्ट संबंधित लेखा में प्रतिक्रमित हो जाती है। स्वत: बनने वाली प्रविष्टियाँ, कंपनी की विदेशी देयताओं/प्राप्तियों के ग़लत विवरण का कारण बन सकती हैं और साथ-साथ इसके लाभ को भी प्रभावित कर सकती है यदि भौतिक हस्तक्षेप नहीं हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में, 'वस्तुपरक कमी' अपूर्णता या अभावों का योग होती है जिस कारण ऐसी पर्याप्त संभावना बनती है कि कंपनी की वार्षिक या अंतरिम इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को वस्तुपरक ग़लतबयानी से बचाया नहीं जा सकता या समय पर उसकी पहचान नहीं हो सकती।

मत

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी आर्थिक पहलुओं में, विशिष्ट मत के आधार के अनुच्छेद में वर्णित उन बातों के सिवाय कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक:30/10/2019
यूडीआइएन:19026171एएएडीफ1910

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के परिशिष्ट "ख" से संबंधित हमारी रिपोर्ट

(i) **स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में:**

(क) कंपनी, अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रही है ।

(ख) प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल स्थाई परिसंपत्ति के वस्तुगत सत्यापन के लिए कंपनी के पास नियमित वार्षिक योजना है । वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्थाई परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया गया है ।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है ।

(ii) **वस्तुसूची के संदर्भ में**

वस्तुसूची के संदर्भ में,वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उचित अंतराल पर वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया है और वस्तुगत सत्यापन के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई थी।

(iii) **ऋण एवं अग्रिम**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल अन्य पक्षों को नहीं दिया है। तदनुसार, उक्त आदेश के उपबंध 3(iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(iv) **ऋण, निवेश एवं गारंटी**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं दिया है, अतएव आदेश के उपबंध 3(iv) लागू नहीं होते हैं।

(v) **जमा राशि की स्वीकृति**

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तक एवं इसके अंतर्गत बने नियमों तथा अधिसूचित सीमा तक कोई जमा स्वीकार नहीं की है । अतएव, आदेश के उपबंध (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं ।

(vi) **लागत अभिलेख का अनुरक्षण**

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी के किसी भी व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए लागत अभिलेख के अनुरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के उपबंध 3(vi) के प्रावधान कंपनी के लिए नहीं होते हैं।

(vii) **सांविधिक बकाया से संबंधित**

(क) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा तथा अभिलेखों की अपनी जाँच के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, बिक्रीकर, कर्मचारी कल्याण उपकर सहित ग़ैर-विवादित सांविधिक बकाए को सामान्यतया नियमित तरीके से जमा कराती रही है। तुलनपत्र की तिथि से देय तिथि तक 6 महीने की अवधि से अधिक के किसी सांविधिक बकाए के भुगतान में कोई देरी नहीं देखी गई है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, सेवाकर (वित्त अधिनियम,1994 का अध्याय V) एवं बिक्री कर (कर्नाटक वैट), कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :- (सारणी-ए)

(viii) **ऋण/उधारी का पुनः भुगतान**

हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी ने न तो वित्तीय संस्थानों, सरकार, बैंकों से कोई राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है । इस प्रकार, आदेश के उपबंध 3(viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(ix) **सार्वजनिक प्रस्ताव**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव ऋण पत्रक सहित द्वारा कोई उगाही नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से आवधि ऋण नहीं लिया है।

(सारणी-ए)

क्रम सं.	परिनियम के नाम	बकाया के प्रकार	राशि (₹ लाख में)	अवधि जिसके लिए यह बाकी है	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय	सेवा कर	567.12	01.07.2012 से 30.09.2015 तक	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायालय (सी.ई.एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
2	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01.04.2005 से 31.07.2008 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय
3	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	27,429.82	01.08.2008 से 31.03.2010 तक	माननीय कर्नाटक के उच्च न्यायालय
4	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	96,415.06	01.04.2010 से 31.03.2014 तक	माननीय कर्नाटक के उच्च न्यायालय

(x) **कंपनी या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है या कोई धोखाधड़ी देखी गई या रिपोर्ट की गई है। तदनुसार, आदेश के उपबंध 3(x) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xi) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक**

यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, अतएव, अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार आदेश के उपबंध 3(xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(xii) **निधि कंपनी**

हमारे मत से, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के उपबंध 3(xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, अत: कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।

(xiii) **संबंधित पक्षों के साथ अंतरण**

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार,संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लिखित किए गए हैं।

(xiv) **अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन**

कंपनी ने, वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन या पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। इस प्रकार आदेश के उपबंध 3(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xv) **ग़ैर नकदी अंतरण**

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में यथा संदर्भित, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई ग़ैर नकदी अंतरण नहीं किया है।

(xvi) **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के तहत पंजीकरण**

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक:30/10/2019
यूडीआइएन:19026171एएएडीफ1910

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु परिशिष्ट-ग

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए हमारे समसंख्यक रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आइटी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित है ? यदि हाँ, तो आइटी से अलग लेखाविधि अंतरण प्रक्रिया पर लेखा के एकीकरण सहित वित्तीय प्रभाव पड़ने के कारणों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।	कंपनी सभी वित्तीय एवं लेखाविधि अंतरण के सभी अभिलेखों के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बाहर से की जाती हैं: 1. विदेशी प्राप्ति एवं देयता का स्थानांतरण; 2. कर्मचारी लाभ व्यय की गणना 3. बिक्री बीजक का सृजन ये अंतरण स्थापित उचित प्रणाली द्वारा नियंत्रित एवं अनुवीक्षित हैं।
2	क्या कृपया कंपनी द्वारा ऋण की फिर से अदायगी में अक्षम होने के कारण वर्तमान उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को छोड़ देने या बट्टे खाते में डालने के लिए पुन: संरचनाबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अतएव यह अनुच्छेद लागू नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि की उचित लेखाविधि तैयार/शर्तों के अनुरूप उपयोग किए गए है? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कंपनी, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई निधि न तो प्राप्त की है और न ही इसके लिए कोई प्राप्य निधि है।

कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक:30/10/2019
यूडीआइएन:19026171एएएडीएफ1910

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2019 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ़ से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागज़ात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, कुछ भी विशेष मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिस कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या परिशिष्ट तैयार की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(अकोइजम रिना)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18.12.2019

विस्तृत वित्तीय विवरणी

31.03.2019 तक तुलन पत्र

राशि ₹ लाख में

विवरण	नोट सं.	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
परिसंपत्ति:			
(1) **दीर्घकालीन परिसंपत्ति**			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4	1,253.09	1,334.86
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	5	67.49	53.37
(ग) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	0.84	0.48
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	17,950.63	18,007.74
(घ) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	8	45,770.85	50,277.85
(ङ.) अन्य कर परिसंपत्ति	9	11,546.44	14,580.51
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्ति	34	226.84	-
कुल दीर्घकालीन परिसंपत्ति		76,816.18	84,254.81
(2) **चालू परिसंपत्ति**			
(क) वस्तु-सूची	10	81.54	186.14
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	11	3,995.60	2,526.89
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	12	82,294.01	47,993.37
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	13	2,296.57	1,307.96
(iv) अन्य बैंक बचत	14	59,936.93	84,912.23
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	15	6,547.41	4,611.98
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	16	33,054.68	26,100.66
कुल चालू परिसंपत्ति		1,88,206.74	1,67,639.23
कुल परिसंपत्ति		**2,65,022.92**	**2,51,894.04**
इक्विटी एवं देयता:			
(1) **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	680.00	680.00
(ख) अन्य इक्विटी	18	1,47,159.83	1,28,687.82
कुल इक्विटी		1,47,839.83	1,29,367.82
(2) **देयता**			
दीर्घकालीन देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) अन्य वित्तीय देयता	19	14.90	14.90
(ख) प्रावधान	20	27.39	103.59
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयता	21	6,906.21	35,793.91
(घ) आस्थगित कर देयता (निवल)	34	-	956.48
कुल दीर्घकालीन देयता		6,948.50	36,868.88
चालू देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		41.30	0.86

(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि	22	64,877.12	56,045.80
(ii) अन्य वित्तीय देयता	23	12,845.16	12,038.89
(ख) अन्य चालू देयता	24	32,465.34	17,570.06
(ग) प्रावधान	25	5.67	1.73
कुल चालू देयता		1,10,234.59	85,657.34
कुल इक्विटी एवं देयता		**2,65,022.92**	**2,51,894.04**
संलग्न नोट सं. 1 से 61 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।			

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(तिलक सिंह)
कंपनी सचिव
आइसीएआइ सदस्य सं. एसीएस3252

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

राशि ₹ लाख में

	विवरण	नोट सं.	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
I	प्रचालनों से राजस्व	26	1,64,032.78	1,12,838.01
II	अन्य आय	27	6,868.84	10,519.36
III	**कुल आय (I+II)**		**1,70,901.62**	**1,23,357.37**
IV	**व्यय :**			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	28	1,23,276.37	86,893.14
	(ii) पूरे माल की खरीदारी	29	124.87	187.80
	(iii) माल की सूची में परिवर्तन	30	104.60	(186.14)
	(iv) कर्मचारी लाभ व्यय	31	240.84	191.53
	(v) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय	4 एवं 5	151.63	136.41
	(vi) अन्य व्यय	32	5,078.28	4,514.03
	कुल व्यय (IV)		**1,28,976.59**	**91,736.77**
V	**विशिष्ट मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		41,925.03	31,620.60
VI	कर व्यय		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V-VI)		41,925.03	31,620.60
VIII	**कर व्यय:**			
	(i) चालू कर:			
	(अ) वर्तमान वर्ष		15,344.89	11,015.00
	(ब) पिछले वर्ष		1,214.24	(91.01)
	(ii) आस्थगित कर	33	(1,183.32)	(454.67)
IX	**चालू प्रचालनों से उक्त अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**26,549.22**	**21,151.28**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।			
	क (ii) निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		5.60	1.65
	क (iii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		(1.96)	(0.57)
XI	ख (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।			-
	ख (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।			-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		3.64	1.08
XII	**उक्त अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)(उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय शामिल)**		26,552.86	21,152.36
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (चालू प्रचालन के लिए):			-
	(1)मौलिक/समायोजित (₹)		3,904.30	3,110.48
	(2)अवमिश्रित (₹)		3,904.30	3,110.48
	संलग्न नोट सं. 1 से 61 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।			

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(तिलक सिंह)
कंपनी सचिव
आइसीएआइ सदस्य सं. एसीएस3252

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

राशि ₹ लाख में

	31.03. 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03. 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (पुनर्युक्त)
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**41,925.03**	**31,620.60**
समायोजन:		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	151.64	136.41
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1,905.98	1,320.42
निवेश की बिक्री पर हानि	166.04	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप पर व्यय	688.92	696.31
अप्राप्य विदेशी मुद्रा (वाइईसीटी)	392.70	(107.48)
म्यूचुअल निधि से लाभांश आय	(828.18)	(1,306.22)
बैंक जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(5,457.36)	(6,691.71)
पुनर्लिखित संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	(50.00)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**38,944.78**	**25,618.33**
परिसंपत्ति एवं देयता में परिवर्तन		
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी - ऋण	(0.36)	(0.42)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	57.11	(12,906.20)
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	4,507.00	5,329.05
अन्य कर परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	3,034.07	(2,460.04)
वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी	104.60	(186.14)
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(36,206.62)	12,409.34
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(1,935.43)	857.75
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(6,954.02)	(11,367.99)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	-	(17,501.61)
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	(28,887.69)	(1,119.32)
अन्य दीर्घकालीन प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(76.21)	24.80
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	8,871.76	(12,728.01)
अन्य चालू वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	806.27	(1,350.04)
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	14,895.27	16,668.14
अन्य चालू प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	3.94	0.53
प्रचालन-जनित नकद	**(2,835.54)**	**1,288.17**
घटाइए: आयकर प्रदत्त (निवल))	(16,559.13)	(10,923.99)
प्रचालनीय क्रियाकलापों से प्राप्त/ (में प्रयुक्त) निवल नकद	**(19,394.66)**	**(9,635.83)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेषराशि में (वृद्धि)/कमी	24,975.30	30,234.27
स्थाई परिसंपत्ति की बिक्री/(ख़रीद)	(83.98)	(73.30)
निवेश की बिक्री/(ख़रीद)	(1,468.71)	18,725.78
निवेश की बिक्री से हानि	(166.04)	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	828.18	1,306.22
बैंक में जमा से प्राप्त आय	5,457.35	6,691.71

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	**29,542.10**	**56,884.68**
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश	(6,700.00)	(18,000.00)
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(1,377.20)	(3,664.38)
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप पर व्यय	(688.92)	(696.31)
शेयरों की खरीदारी के लिए भुगतान	-	(23,892.00)
शेयरों की खरीदारी के लिए कर भुगतान	-	(5,508.90)
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**(8,766.12)**	**(51,761.59)**
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तनों के प्रभाव	(392.70)	107.48
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	988.61	(4,405.25)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	1,307.96	5,713.21
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	**2,296.57**	**1,307.96**
संलग्न नोट सं. 1 से 61 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं		

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(तिलक सिंह)
कंपनी सचिव
आइसीएआइ सदस्य सं. एसीएस3252

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

31.03.2019 को समाप्त हुई अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

राशि ₹ लाख में

	क. इक्विटी शेयर पूँजी	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	680.00	400.00
(ii)	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	280.00
(iii)	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	680.00	680.00

	ख. अन्य इक्विटी	रिज़र्व एवं अधिशेष						कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप निधि		अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री		कुल	
	विवरण	सामान्य रिज़र्व		पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)							
		31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	**1,06,614.10**	**1,36,295.00**	**60.00**	**-**	**20,770.33**	**21,324.36**	**1,251.40**	**1,271.55**	**(8.02)**	**(9.10**	**1,28,687.81**	**1,58,881.81**
(ii)	लेखाविधि नीति या पूर्वावधि त्रुटि में परिवर्तन					-						-	-
(iv)	लाभांश					(6,700.00)	(18,000.00)					(6,700.00)	(18,000.00)
(v)	प्रतिधारित आय का स्थानांतरण (वर्तमान अवधि के लाभ का स्थानांतरण)					26,549.22	21,151.28					26,549.22	21,151.28
(vi)	कोई अन्य परिवर्तन:											-	-

राशि ₹ लाख में

	(क) अन्य रिज़र्व - पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व				60.00	इ	(60.00)					-	-
	(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप व्यय (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)					688.92	696.31	(688.92)	(696.31)			-	-
	(ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप के लिए बजटीय आबंटन का अंतरण (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)					(678.00)	(676.16)	678.00	676.16			-	-
	(घ) वितरित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)					(1,377.20)	(3,664.38)					(1,377.20)	(3,664.38)
	(ङ.) शेयरों की पुन: खरीदारी के लिए भुगतान**		(23,832.00)									-	(23,832.00)
	(च) शेयरों की पुन: खरीदारी पर आयकर**		(5,508.90)									-	(5,508.90)
	(छ) बोनस शेयर का निर्गमन		(340.00)									-	(340.00)
	(ज) उपदान के बीमांकन मूल्यांकन पर इण्ड एएस मापन एवं उस पर कर का प्रभाव					(3.64)	(1.08)			3.64	1.08	-	-
(vii)	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**39,249.63**	**20,770.33**	**1,240.48**	**1,251.40**	**(4.38)**	**(8.02)**	**1,47,159.83**	**1,28,687.81**

**पिछली रिपोर्टिंग अवधि में शेयरों की पुन: ख़रीदारी पर अधिमूल्य के लिए विनियुक्त राशि, इस पर आयकर सहित, को सामान्य रिज़र्व की जगह प्रतिधारित आय से कम किया गया है। वर्ष के दौरान इसे सही कर लिया गया है। इस सुधार का संख्याओं की समेकित प्रस्तुति पर कोई निहितार्थ नहीं है।

संलग्न नोट सं. 1 से 61 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171

(हस्ता/-)
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

(हस्ता/-)
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144

(हस्ता/-)
(तिलक सिंह)
कंपनी सचिव
आइसीएआइ सदस्य सं. एसीएस3252

बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

वित्तीय विवरणी के नोट

1. **कंपनी का विहंगमावलोकन**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादो तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आइ.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु-560094 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

2. **तैयारी का आधार**

(क) अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप तैयार किए गए हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन उचित मूल्यों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1, "वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति" में समाविष्ट है। स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं। ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं ।

(ख) प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है । सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण की गई हैं ।

नए लेखाविधि मानक का उपयोग

कंपनी ने, इण्ड ए.एस.115, ग्राहकों के साथ करार से प्राप्त राजस्व को 01 अप्रैल 2018 से स्वीकार किया है और इसका विस्तृत विवरण नोट 51 में वर्णित है। कंपनी द्वारा किए गए पिछले कारोबार में इण्ड ए.एस.115 को लागू करने पर कोई अर्थापत्ति नहीं हुई है।

कंपनी ने, 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद आरंभिक तौर पर स्वीकार्य सभी संभावित परिसंपत्ति, आय एवं व्यय से संबंधित इण्ड ए.एस. 21 की परिशिष्ट 'ख', विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अग्रिम क्षतिपूर्ति को 01 अप्रैल 2018 से स्वीकार किया है।

चालू/दीर्घकालीन वर्गीकरण

कोई भी परिसंपत्ति या देयता चालू मानी जाएगी अगर वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

i. कंपनी के सामान्य परिचालन काल में ही किसी परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिलक्षित हो;

iv. विवरित अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जबतक इसकी अदला-बदली पर रोक न लगी हो या विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद देयता के भुगतान के लिए उपयोग में न लाई जा सके;

vi. जहाँ तक देयता का प्रश्न है, कंपनी को विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद भी देयता के भुगतान को टालने का कोई बिना शर्त अधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्य सभी परिसंपत्ति या देयता दीर्घकालीन मानी जाती हैं।

परिसंपत्ति या देयता के चालू या दीर्घकालीन वर्गीकरण के लिए कंपनी ने अपना सामान्य परिचालन काल बारह महीना माना है। यह परिसंपत्ति या सूचियों के अधिग्रहण के प्रवर्धन और नकद या नकद समतुल्य के प्रापण के बीच सेवाओं की प्रकृति तथा समय पर आधारित है।

(ग) आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं।

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है। विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) **राजस्व स्वीकृति**:

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है। लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के पर्याप्त तौर पर भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं। चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसे इन संविदाओं की अवधि के दौरान नियमित रूप से आकलित किया जाता है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है।

ii) **आयकर**:

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है।

iii) **आस्थगित कर**:

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं। कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित कर योग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीत अवधि के दौरान भविष्य के कर योग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

(iv) **परिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**:

परिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह परिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है।

(v) **वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि:**

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है | कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है |

(घ) **उचित मूल्य का मापन**

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है |

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) |

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है |

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)|

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है | यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं |

3. **महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ**

(क) **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**

(i) **मान्यता एवं मापन**

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है |

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुन: स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं |

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है |

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है |

(ii) **इण्ड ए.एस. में अंतरण**

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें) ।

(iii) **परवर्ती व्यय**

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे |

(iv) **मूल्यह्रास**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है | 0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं | 1% के शेषमूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है | कंपनी द्वारा यथा निर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन इस प्रकार हैं::

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयत्र एवं यंत्र-समूह	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन (अस्थाई निर्माण)	3 वर्ष
भवन (बाड़, इत्यादि)	5 वर्ष
फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	10 वर्ष
संगणक एवं अन्य सहायक सामग्री	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
सॉफ्टवेयर	5 वर्ष
विद्युतीय व्यवस्था	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

(ख) अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है। आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है। यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है।

(ग) वस्तु-सूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। माल की लागत का निर्धारण पहले डालो, पहले निकालो सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं। कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है।

(घ) राजस्व

(i) **बिक्री**

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित / ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपूर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और, यदि संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहकसुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) **सेवाएँ**

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

ग्राहक के साथ हुए करार के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा होने के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(स) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) सम्मिश्र संविदा

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) अन्य आय

(अ) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है। जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ब) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्‌भवन के आधार पर की जाती है।

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ङ.) विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) प्रारंभिक स्वीकृति

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तकविनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं। ग़ैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है। लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है।

(च) वित्तीय संलेख

(i) स्वीकृति एवं आरंभिक मापन

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्‌भूत होते हैं। बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है। वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं।लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ और हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति:

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहितकर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

इक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आई में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. के रूप में निर्दिष्ट-इक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंप्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आई. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आई.में इक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं। किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) **अस्वीकृति**

(अ) **वित्तीय परिसंपत्ति:**

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

(ब) **वित्तीय देयता:**

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं। समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(छ) क्षति

(i) **वित्तीय संलेख की क्षति**

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है? वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्त्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन अपेक्षित जीवनकाल जमा राशि के बराबर की राशि पर किया जाता है।

(ii) **ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति**

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं ? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है। क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू, परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है।

(ज) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

(i) **उपदान**

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है। योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई. में स्वीकार किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)**

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में एन्ट्रिक्स के कार्मिक शामिल हैं। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 10% का योगदान देती है। अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होता है। बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) **डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)**

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है।

(झ) आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) **चालू कर**

चालू कर में, कर योग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है । आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है । इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है ।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो ।

(ii) **आस्थगित कर**

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है । आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है । आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं :

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;
- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं । आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत /कम की जाती है जब ऐसा क्रमश: संभव /असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे ।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है ।

(ञ) प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है। वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को बोनस शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है ।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख इक्विटी शेयर के प्रवभावों के लिए समायोजित किया जाता है ।

(ट) प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा । इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है ।

कष्टसाध्य संविदाओं के लिए प्रावधान, यानी संविदा जहाँ इसके तह्त दायित्व को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ को पार कर जाता है, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब ऐसा लगता है कि आर्थिक लाभ को समाविष्ट करता संसाधन का बहिर्गमन, ऐसे दायित्व के उत्तम आकलन पर आधारित दायित्व से जुड़े अवसर वर्तमान दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा ।

जहाँ कोई भरोसेमंद आकलन नहीं किया जा सकता, वहाँ आकस्मिक देयता के तौर पर प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जो हो सकता है, परन्तु संभवत: नहीं भी हो, संसाधन के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है ।

(ठ) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं ।

(ड) पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन

पिछले वर्ष से संबंधितआय/व्यय जो प्रत्येक अंतरण में ₹ 100 लाख या व्यवसाय के 0.1% जो भी उच्चतर हो,से अधिक नहीं होते इन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय की तरह माना जाता है।

(ढ) सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है । लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है ।

(ण) मानक जारी किए गए परन्तु प्रभावी नहीं हैं

मार्च 2019 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने नए मानक एवं जारी मानकों में कुछ संशोधन जारी करते हुए कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक संशोधन) नियम, 2019 एवं भारतीय लेखाविधि मानक (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 की अधिसूचना जारी की। ये संशोधन कंपनी में 01 अप्रैल, 2019 से लागू किए गए हैं। कंपनी इन मानकों को संबंधित लागू तिथि से स्वीकार करेगी।

इण्ड ए.एस 12: आयकर:

इण्ड ए.एस 12: आयकर से आयकर व्यवहार में आने वाली अनिश्चतता:

इस परिशिष्ट से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह चालू कर, आस्थगित कर, कर योग्य लाभ (हानि), कराधार, बिना उपयोग किए गए कर में हानि, बिना उपयोग किए गए कर की जमा राशि और कर-दर को स्वीकार करते समय किस तरह स्वीकरण एवं मापन सिद्धान्त को लागू किया जा सकता है जब इण्ड ए.एस 12 के अंतर्गत कर व्यवहार में अनिश्चतता हो। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनी के लिए यह आकलन करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या यह संभव है कि कर प्राधिकारी आयकर भरते समय उपयोग में लाए गए अनिश्चित कर व्यवहार या प्रयोग में लाए जाने वाले व्यवहार को स्वीकार करेंगे। 01 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष पत्रक के आरंभिक उपयोग के संचित प्रभाव के साथ परिशिष्ट पिछली तिथि से लागू की जाएगी।

जैसा कि कंपनी ने आकलन किया है कि वित्तीय विवरणी पर परिशिष्ट का पड़ने वाला प्रभाव ग़ैर आर्थिक होने की संभावना है।

इण्ड ए.एस 12, आयकर में संशोधन:

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि संस्था लाभ या हानि में लाभांश के आयकर परिणाम, अन्य व्यापक आय या इक्विटी स्वीकार करेगी जबकि संस्था पहले ही पिछले अंतरण या क्रियाकलापों को स्वीकार कर चुकी हो।

कंपनी इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2019 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए लागू करेगी। वित्तीय विवरणी पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

इण्ड ए.एस 116-पट्टा:

इण्ड ए.एस 17-पट्टा की ज़गह इण्ड ए.एस 116 लागू हो चुकी है। इण्ड ए.एस 116 के अंतर्गत, एक पट्टेदार पट्टा भुगतान (यानी पट्टा देयता) के लिए देयता और पट्टे की तिथि की शुरुआत से पट्टे की अवधि (परिसम्पत्ति उपयोग का आधार) के दौरान बची परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए मिलने वाले अधिकार की पहचान करेगा। पट्टेदार पट्टा देयता पर होने वाले ब्याज व्यय और परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास व्यय की पहचान अलग से करेंगे। इण्ड ए.एस 116 के अंतर्गत और इण्ड ए.एस 17 के अंतर्गत पट्टादाता लेखाविधि सामान्यतया बदलती नहीं है। इण्ड ए.एस 116, 01 अप्रैल, 2019 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि से प्रभावी है। कंपनी, इण्ड ए.एस 116 के अनुरूप अधो मूल्य छूट को उपयोग में लाना चाहती है।

इण्ड ए.एस 23, उधार लागत में संशोधन:

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि संस्था पूँजीकरण दर की गणना के समय विशेष उधार को सामान्य उधार मानेगी अगर विशेष परिसम्पत्ति की तैयारी के लिए आवश्यक वास्तविक क्रियाकलाप जिसके लिए विशेष उधार प्राप्त किया गया था, इसके अभिलक्षित उपयोग या बिक्री के लिए पूरी हो चुकी हो।

कंपनी इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2019 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए लागू करेगी। चूँकि, कंपनी की वर्तमान व्यवस्था इन संशोधनों के अनुरूप है इसलिए कंपनी की वित्तीय विवरणी पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

नोट 4 का परिशिष्ट-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				मूल्यह्रास (उपयोगी जीवन एसएलएम)				निवल वाहित मान(डब्ल्यूडीवी)	
		31.03.18 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.19 को	31.03.18 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.19 तक	31.03.19 को	31.03.18 को
1	भवन										
(i)	भवन-आर.सी.सी.निर्मित ढाँचा	837.12	-	-	837.12	43.41	14.47		57.88	779.24	793.71
(ii)	भवन-वातानुकूलन प्रणाली	85.36	-	-	85.36	20.76	6.92		27.68	57.68	64.61
(iii)	भवन-विद्युत संबंधी प्रणाली	263.98	2.14	-	266.12	108.77	36.41		145.18	120.94	155.21
(iv)	भवन-उत्थापक	33.28	-	-	33.28	8.10	2.70		10.79	22.49	25.18
(v)	भवन-जल आपूर्ति प्रणाली	57.79	-	-	57.79	14.05	4.68		18.73	39.06	43.74
(vi)	भवन-काष्ठ फर्श प्रणाली	27.54	0.81	-	28.35	10.70	3.65		14.35	14.00	16.83
(vii)	भवन (बाड़)-चहारदीवारी फाटक	1.12	-	-	1.12	1.10	-		1.10	0.02	0.02
(viii)	भवन अस्थाई निर्माण (काष्ठ कोष्ठक)	0.18	-	-	0.18	0.16	-		0.16	0.02	0.02
	उप योग	**1,306.37**	**2.95**	-	**1,309.32**	**207.04**	**68.83**	-	**275.87**	**1,033.45**	**1,099.33**
2	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	216.37	25.14	-	241.52	80.35	29.62		109.97	131.55	136.03
3	संगणक एवं बाह्य सामग्री	90.50	19.36	-	109.86	25.18	21.56		46.74	63.12	65.32
4	कार्यालय उपकरण	68.37	1.49	-	69.85	34.29	10.60		44.89	24.96	34.07
5	संचारजाल उपकरण	1.11	-	-	1.11	1.00	0.10		1.10	0.01	0.11
	कुल	**1,682.72**	**48.94**	-	**1,731.66**	**347.86**	**130.71**	-	**478.57**	**1,253.09**	**1,334.86**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	1,610.51	72.21	-	1,682.72	227.27	120.59	-	347.86	1,334.86	1,383.24

नोट:
1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।
2) प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए या दिनांक 01.02.2009 से दी गई विस्तार के लिए वार्षिक किराया के आधार पर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर दी गई ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ है। पट्टे की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
3) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किए गए सुधार के अनुसार, जो 01 अप्रैल, 2015 से या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियों के लिए अनिवार्य है, वर्ष के दौरान भवन एवं ऐसे घटकों के लिए घटक लेखाविधि लागू की गई है वह भवन के वृहत् शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है। निर्माण एवं अनुरक्षण संभाग, इसरो मुख्यालय दिए गए ब्योरों के आधार पर भवन का घटक मूल्य निर्धारित है।
4) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप, भवन, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास से संबंधित महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को पारिभाषित करने के लिए संशोधित किया गया है। हालाँकि, इससे वित्तीय आँकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट 5 का परिशिष्ट-अन्य अमूर्त परिसंपत्ति (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				लेखाविधि मानक-आइएनडी एएस-38 के तहत मूल्यह्रास (सीधी रेखा पद्धति)				निवल वाहित मान(डब्ल्यूडीवी)	
		31.03.18 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.19 को	31.03.18 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.19 तक	31.03.19 को	31.03.18 को
1	संगणक सॉफ्टवेयर (अर्जित)	79.82	35.04	-	114.86	26.45	20.92	-	47.37	67.49	53.37
	कुल	**79.82**	**35.04**	-	**114.86**	**26.45**	**20.92**	-	**47.37**	**67.49**	**53.37**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	78.73	1.09	-	79.82	10.63	15.82	-	26.45	53.37	68.10

नोट: 1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है ।

31.03.2019 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
4	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर**		
	(a) भवन	1,033.45	1,099.33
	(b) फर्नीचर एवं फिक्सर	131.55	136.03
	(c) कार्यालय उपकरण	24.96	34.07
	(d) कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	63.12	65.32
	(e) नेटवर्किंग उपकरण	0.01	0.11
		1,253.09	**1,334.86**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
5	**अन्य अमूर्त परिसंपत्ति:**		
	(a) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	67.49	53.37
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
6	**ऋण**		
	(क) कर्मचारी को अग्रिम	0.72	0.46
	(ख) कर्मचारी को अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.12	0.02
		0.84	**0.48**
	(क) (सुरक्षित-खरे माने जाने वाले सामान)	-	-
	(ख) (असुरक्षित-खरे माने जाने वाले सामान)	**0.84**	**0.48**
7	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(क) जमा	5,024.04	5,019.03
	(ख) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के साथ बैंक जमा राशि	-	110.00
	(ग) प्रतिभूति जमा के बदले में निर्गत गारंटी के विरुद्ध अंतराल राशि के रूप में रखी गई जमा राशि	12,926.59	12,878.71
		17,950.63	**18,007.74**
8	**अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति**		
	(क) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	-	1.23
	(ख) पूँजी अग्रिम	3.00	-
	(ग) व्यापार ऋणदाता के लिए अग्रिम	35,284.62	39,793.28
	(घ) व्यय के लिए अग्रिम	4.90	5.01
	(ङ) विरोध के तहत भुगतान किए गए कर	10,478.33	10,478.33
		45,770.85	**50,277.85**
9	**अन्य कर परिसंपत्ति:**		
	(क) कर-बकाया वापसी	11,546.44	14,580.51
10	**वस्तु-सूची**		
	जारी व्यापार सामग्री (लागत पर मूल्यांकित या आकलित प्राप्य मूल्य)	81.54	186.14

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
11	निवेश-चालू:		
	(म्यूचुअल निधि में निवेश - अनुल्लिखित - लाभ और हानि द्वारा उचित मूल्य पर वाहित)		
	बैंक ऑफ इंडिया एक्सए लिक्विड निधि-सीधी योजना-प्रतिदिन लाभांश-पुनर्निवेश	148.43	130.15
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1002.6483 एनएवी की दर से 14803.708 यूनिट (विगत वर्ष 12980.447) में निवेश किया।		
	केनरा रोबेको लिक्विड - प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश	147.50	109.86
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1005.50 एनएवी की दर से 14669.597 यूनिट (विगत वर्ष 10925.708) में निवेश किया।		
	आई.डी.बी.आई.लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश पुनर्निवेश	3,241.44	1,801.66
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1002.3548 एनएवी की दर से 323382.731 यूनिट (विगत वर्ष 179743.124) में निवेश किया।		
	एल.आइ.सी.एम.एफ.लिक्विड फंड प्रत्यक्ष लाभांश योजना	168.64	126.12
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1098/- एनएवी की दर से 15358.884 यूनिट (विगत वर्ष 11486.255) में निवेश किया।		
	एल.डी.72 एस.डी.एस.बी.आई. प्रीमियर लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश	131.16	115.01
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1003.25 एनएवी की दर से 13073.639 यूनिट (विगत वर्ष 11464.002) में निवेश किया।		
	एल.डी.आर.डी.यूनियन लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश-प्रत्यक्ष योजना	-	121.95
	पिछले वर्ष के अंत में ₹ 1000.6597 एनएवी की दर से 12187.291 यूनिट में निवेश किया।		
	यू.टी.आइ, लिक्विड नकद योजना-संस्थागत प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश	158.43	122.14
	वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹ 1019.4457 एनएवी की दर से 15540.378 यूनिट (विगत वर्ष 11981.045) में निवेश किया।		
		3,995.60	**2,526.89**
12	**व्यापार प्राप्तियाँ:**		
	(i) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ - सुरक्षित	16,015.64	9,743.41
	(ii) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ - असुरक्षित	66,278.37	38,249.96
	(iii) व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	7,577.42	2,500.88
	(iv) व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	3,066.34	6,236.90
		92,937.77	**56,731.15**
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	7,577.42	6,236.90
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता	3,066.34	2,500.88
		82,294.01	**47,993.37**
13	**नकद एवं नकद समतुल्य:**		
	बैंक में शेष	2,296.42	1,307.78
	नकद	0.10	0.10
	कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद	0.05	0.08
		2,296.57	**1,307.96**

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
14	**अन्य बैंक शेष (उपर्युक्त 13 के तहत के अलावा):**		
	(i) 12 महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि	58,650.00	81,854.76
	(ii) जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के बदले में बैंक में रखी गई जमा राशि	-	1,832.00
	(iii) सी.एस.आर क्रियाकलाप के लिए बैंक में निर्दिष्ट निधि	1,286.93	1,225.47
		59,936.93	**84,912.23**
15	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(i) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	3,975.64	3,860.21
	(ii) अन्य प्राप्तियाँ	2,571.77	751.77
		6,547.41	**4,611.98**
16	**अन्य चालू परिसंपत्ति**		
	(असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(i) व्यय के लिए अग्रिम	294.32	1,429.48
	(ii) व्यापार लेनदारों के लिए अग्रिम	30.42	23.74
	(iii) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	11,177.37	7,723.61
	(iv) अप्रत्यक्ष कर परिसंपत्ति	21,552.57	16,923.83
		33,054.68	**26,100.66**
17	**इक्विटी शेयर पूँजी:**		
	(क) अधिकृत:		
	(i) शेयरों की सं.	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख) निर्गत, अभिदत्त एवं नकद के बदले में पूर्णरूपेण प्रदत्त:		
	(i) शेयरों की सं.	6,80,000	6,80,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	680.00	680.00
	(ग) समान मूल्य के प्रति शेयर	100.00	100.00
	(घ) अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य		
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	4,00,000
	(ii) घटाइए: वर्ष के दौरान पुन: खरीदी गई शेयरों की संख्या	-	60,000
	(iii) जोड़िए: वर्ष के दौरान निर्गत बोनस शेयरों की संख्या	-	3,40,000
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(ङ.) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयर के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध	**इक्विटी शेयर**	
	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के आधार पर, समस्त अधिकार (धारित प्रति इक्विटी शेयर पर एक मत के अधिकार सहित) समस्त अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयर के हस्तानांतरण प्रतिबंध सहित) निदेशकमंडल के पास निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक पर आधारित होता है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा।		

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	(छ) धारित शेयर की संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण : ₹100 प्रत्येक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के समस्त 6,80,100 शेयर के 100 % राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है । (ज) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं हैं । (झ) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति इक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है । (ञ) तुलनपत्र तैयार किए जाने के ठीक पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सूचना	-----अनुसूची के अनुसार-----	
18	**अन्य इक्विटी**		
		-	-
	इक्विटी में परिवर्तनों की संलग्न विवरणी के अनुसार	1,47,159.83	1,28,687.82
19	**अन्य वित्तीय देयता**	-	-
	(i) दीर्घकालीन व्यापार देय (एमएसएमई के अलावा)	14.90	14.90
		14.90	14.90
20	**प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान	11.09	40.51
	(ii) अवकाश नकदीकरण	16.30	63.08
		27.39	**103.59**
21	**अन्य दीर्घकालीन देयता**		
	(i) ग्राहकों से अग्रिम	6,906.21	35,788.05
	(ii) आस्थगित आय	-	5.86
		6,906.21	**35,793.91**
22	**व्यापार देय**		
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बाकी बची बकाया राशि (एमएसएमई)	41.30	0.86
	(ii) एमएसएमई को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि	64,877.12	56,045.80
		64,918.42	**56,046.66**
	अतिरिक्त सूचना :		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास बाकी बची बकाया राशि निम्नवत् है :		
	विवरण		
	1 बाकी और अप्रदत्त बचे मूलधन	41.30	0.86
	2 उपर्युक्त (1) के बाकी ब्याज और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतान पर प्रदत्त ब्याज	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) को छोड़कर विलम्ब-अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज	-	-
	6 प्रोद्भूत एवं अप्रदत्त बाकी बचे ब्याज	-	-
	7 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तह्त व्यय छूट की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाकी एवं देय ब्याज	-	-

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
23	**अन्य वित्तीय देयता**		
	(i) व्यय के लिए लेनदार	431.72	439.11
	(ii) अन्य देयता के लिए लेनदार	459.72	130.11
	(iii) अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	11,953.72	11,469.67
		12,845.16	**12,038.89**
24	**अन्य चालू देयता**		
	(i) सांविधिक देयता	20,905.62	7,535.30
	(ii) ग्राहकों से अग्रिम	2,427.35	4,342.71
	(iii) आस्थगित आय के लिए देयता	-	23.37
	(iv) अग्रिम के तौर पर प्राप्त राजस्व	9,132.37	5,668.68
		32,465.34	**17,570.06**
25	**प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान के लिए	0.86	0.74
	(ii) अवकाश नकदीकरण के लिए	4.81	0.99
26	**प्रचालनों से राजस्व:**	**5.67**	**1.73**
	(क) उत्पादों की बिक्री:		
	(i) निर्यात	42.78	6.96
	(ii) घरेलू	2,659.22	3,166.39
	कुल (क)	**2,702.00**	**3,173.35**
	(ख) सेवाओं की बिक्री:		
	(i) **निर्यात**		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	375.81	25.61
	प्रमोचन सेवा	32,418.52	23,256.47
	मिशन सहायता सेवाएँ	166.28	378.59
	वैकल्पिक प्रमोचन सेवा	65.91	-
	परामर्शिता सेवाएँ	4.36	(14.04)
	(ii) **घरेलू**		
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - इन्सैट	1,08,605.41	94,575.66
	घटाइए: अंतरिक्ष विभाग राजस्व शेयर	92,315.39	80,389.31
		16,290.02	14,186.35
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	73,277.27	71,296.37
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति	517.95	433.45
	प्रमोचन सेवा प्राप्ति	37,010.28	-
	परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	1,204.38	101.86
	कुल (ख)	**1,61,330.78**	**1,09,664.66**
	कुल (क)+(ख)	**1,64,032.78**	**1,12,838.01**
27	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से प्राप्त आय		
	(i) बैंक में जमा राशि पर	5,457.36	6,691.71
	(ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर	0.10	0.02
	(iii) व्यापार प्राप्तियों पर	36.28	312.45
	(iv) पूर्व प्रदत्त करों पर	-	588.76

Aराशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	(ख) निर्यात प्रोत्साहन	123.94	212.93
	(ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ	392.70	1,317.48
	(घ) जमानती जमा से प्राप्त आय	828.18	1,306.22
	(च) सरकारी अनुदान से आय (प्रति प्रतिलेखा)	22.69	22.69
	(छ) विगत वर्ष में पुनर्लिखित संदिग्धपूर्ण लिए गए ऋण के लिए प्रावधान	-	50.00
	(ज) विक्रेताओं से परिनिर्धारित क्षति प्राप्ति	7.27	-
	(झ) विविध आय	0.32	17.10
		6,868.84	**10,519.36**
28	**प्रचालनों से राजस्व की लागत**		
	(क) व्यय की लागत		
	(i) निर्यात	30.15	4.17
	(ii) घरेलू	2,345.02	2,154.95
	कुल (क)	**2,375.17**	**2,159.13**
	(ख) व्यय की लागत		
	(i) निर्यात		
	परामर्शिता सेवाएँ	2.57	-
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	225.48	36.39
	प्रमोचन सेवा	28,254.30	18,137.65
	मिशन सहायता सेवाएँ	20.31	-
	वैकल्पिक प्रमोचन सेवा	123.86	252.46
	(ii) घरेलू	-	-
	परामर्शिता सेवाएँ	993.72	70.16
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	68,922.09	65,876.29
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क	477.87	361.06
	प्रमोचन सेवाएँ	21,881.00	-
	कुल (क)	**1,20,901.20**	**84,734.01**
	कुल (क)+(ख)	**1,23,276.37**	**86,893.14**
29	**माल की खरीदारी:**		
	(i) व्यापार क्रय-आयात	12.24	182.20
	(ii) व्यापार क्रय-अंतर्देशीय	112.63	5.60
		124.87	**187.80**
30	**माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन**		
	(i) प्रारंभिक स्टॉक	186.14	-
	(ii) घटाइए: अंतिम स्टॉक	81.54	186.14
		104.60	**(186.14)**
31	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	40.64	38.53
	निदेशक (वित्त) को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	7.94	-
	वेतन	136.41	91.87
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ	29.56	29.04

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	अवकाश यात्रा रियायत	8.83	4.38
	अवकाश नकदीकरण का भुगतान	0.26	0.26
	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	10.97	16.87
	उपदान प्रावधान	4.74	8.46
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	1.49	2.12
		240.84	**191.53**
32	अन्य व्यय:		
	यात्रा व्यय	93.60	70.74
	सवारी और टैक्सी भाड़ा	38.37	41.65
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	15.96	9.19
	संचार संबंधी व्यय	33.15	39.94
	कानूनी शुल्क एवं व्यय	526.87	470.58
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	216.59	47.15
	सी.एम.डी. आवास हेतु भाड़ा	5.59	4.34
	निदेशक (वित्त) आवास हेतु भाड़ा	1.43	-
	महसूल एवं कर	499.81	354.20
	विज्ञापन एवं प्रचार	46.34	100.12
	संविदा समापन भुगतान	-	530.26
	सदस्यता एवं अभिदान	17.18	6.22
	जनशक्ति व्यय	446.12	444.46
	संगोष्ठी, सम्मेलन एवं बैठक संबंधी व्यय	68.44	4.88
	प्रदर्शिनी एवं व्यापार मेला	11.27	8.18
	भूमि पट्टे का किराया के लिए सरकारी अनुदान	22.69	22.69
	भूमि पट्टे का किराया	0.10	0.10
	करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	-	1.97
	बैंक प्रभार	21.39	9.18
	बैंक गारंटी एवं एलसी प्रभार	128.71	119.06
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-भवन	0.30	0.19
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	83.37	79.07
	लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
	लेखापरीक्षक के तौर पर	5.40	5.54
	शेयरों की पुन: खरीदारी के लिए मंडल को रिपोर्ट के लिए	-	1.35
	जेब-खर्च के लिए	-	0.02
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर व्यय	688.92	696.31
	विविध व्यय	34.66	126.21
	निवेशों से अप्राप्य हानि	166.04	-
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	1,905.98	1,320.43
		5,078.28	**4,514.03**
33	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाले आस्थगित कर (बचत)	(1,183.32)	(454.67)
		(1,183.32)	**(454.67)**

34. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

राशि ₹ लाख में

विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
टैक्स कटौती में समयांतर	2,683.19	3,060.60
अग्रेनीत अप्रयुक्त कर हानि	-	-
अग्रेनीत अप्रयुक्त कर जमा	-	-
	2,683.19	3,060.60
(ख) आस्थगित कर देयता		
टैक्स कटौती में समयांतर	2,456.35	4,017.08
	2,456.35	4,017.08
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**226.84**	**(956.48)**
आस्थगित कर हेतु पूर्ण रूप से लागू कर दर 31 मार्च, 2019 तक 25.17 % था, जबकि 31 मार्च, 2018 तक 34.61 % था।		

राशि ₹ लाख में

34. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (जारी)

क) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि				
विवरण	**वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**		**पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**	
विवरण	16,559.13	-	10,923.99	
वर्तमान कर व्यय	(1,183.32)	-	(454.67)	
निवल कर व्यय	15,375.81		10,469.32	
ख) ओसीआइ में मान्य राशि				
विवरण	**वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**		**पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**	
क) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा				
रोज़गार के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं पर (हानि)/लाभ का पुनर्मापन	5.60	-	1.65	-
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	(1.96)	-	(0.57)	-
व्यय (आयकर का निवल)	-	-	-	-
निवेश पर डीटीएल	-	-	-	-
ख) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत किया जाएगा	-	-	-	-
कुल	**3.64**		**1.08**	

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य				
विवरण	**वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**		**पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े**	
	राशि	**दर**	**राशि**	**दर**
जारी परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	41,925.03	34.944%	31,620.60	34.608%
अपेक्षित आयकर व्यय		14,650.28		10,943.26
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन पर कर प्रभाव				
कर मुक्त आय	(828.18)	(289.40)	(1,306.22)	(452.06)
अतिरिक्त स्वीकृति/अस्वीकृति	-	-	(804.52)	(278.43)
विशिष्ट कर दर का प्रभाव		88.92		-

राशि ₹ लाख में

पिछले वर्षों के कर व्यय		1,214.24		(91.01)
पिछले वर्षों के आस्थगित कर मे संशोधन		(642.03)		2.31
स्थाई अंतर	1,012.46	353.80	997.60	345.25
समायोजन (निवल) का प्रभाव	184.28	725.53	(1,113.14)	(473.94)
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय		**15,375.81**		**10,469.32**
प्रभावी कर दर (%)		**36.67**		**33.11**

घ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2017 तक**	**लाभ तथा हानि लेखा में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2018 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	2,564.61	459.53	-	3,024.15
सांविधिक कटौती	27.68	8.77	-	36.45
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**2,592.29**	**468.30**	-	**3,060.60**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	3,952.78	-		3,952.78
अन्य	-	2.20		2.20
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	50.67	11.43	-	62.10
	4,003.45	**13.63**	-	**4,017.08**
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	**1,411.16**	**(454.67)**	-	**956.48**

ङ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2018 तक**	**लाभ तथा हानि लेखा में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2019 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	3,024.15	(345.32)	-	2,678.83
सांविधिक कटौती	36.45	(32.09)	-	4.36
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**3,060.60**	**(377.41)**	-	**2,683.19**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	3,952.78	(1,545.24)		2,407.54
अन्य	2.20	(2.20)		-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	62.10	(13.29)	-	48.81
	4,017.08	(1,560.73)		2,456.35
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	**956.48**	**(1,183.32)**	-	**(226.84)**

पारिभाषित लाभ योजना के बीमांकक लाभ/हानि पर आस्थगित कर अन्य व्यापक आय में मान्य होता है और इक्विटी के भीतर प्रस्तुत किया जाता है | इन्हें छोड़कर आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता मूलत: लाभ तथा हानि लेखा में अभिलेखित होते हैं |

आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रापण के आकलन में कंपनी उस सीमा तक विचार करती है जहाँ तक यह संभव हो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति प्राप्त की जा सकती है | आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण अवधि के दौरान भविष्य में करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर है जिसमें वे अस्थाई अंतर और आगे लाई गई कर हानि कटौती योग्य है | कंपनी, इस विवरणी को तैयार करने में आस्थगित कर देयता के अपेक्षित उत्क्रम, भविष्य की प्रस्तावित करयोग्य आय एवं कर नियोजन रणनीति पर विचार करती है । इस के आधार पर, कंपनी मानती है कि ऐसी संभावना है कि कंपनी इन कटौती योग्य अंतर के लाभ को प्राप्त करेगी । आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि प्राप्ति योग्य मानी गई, हालाँकि, इसे निकट की शर्त तक कम किया जा सकता है यदि अग्रसारित अवधि के दौरान भविष्य की करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

राशि ₹ लाख में

35 प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)

मौलिक ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे इक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

मिश्रित ई.पी.एस. राशि की गणना, सभी मिले-जुले प्रमुख शेयर के प्रभाव के समायोजन के बाद, कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे इक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

i. **प्रारंभिक इक्विटी धारक से संबंधित लाभ**

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
कर पश्चात् लाभ	26,549.22	21,151.28
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**26,549.22**	**21,151.28**
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**26,549.22**	**21,151.28**

ii. **प्रश्रय दी गई इक्विटी शेयर की औसत संख्या लाखों में**

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
प्रारंभिक तिथि तक निर्गत सामान्य शेयर	6.80	4.00
परिचालन	-	2.80
मौलिक ई.पी.एस. के लिए 31 मार्च तक प्रश्रय दी गई इक्विटी शेयर की औसत संख्या	**6.80**	**6.80**
सम्मिश्रण का प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	6.80	**6.80**
मौलिक और मिली-जुली प्रति शेयर आय	3,904.30	3,110.48

राशि ₹ लाख में

36 वित्तीय संलेख-उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

i. **लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य**

31 मार्च 2019

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	3,995.60	-	-	3,995.60	-	3,995.60	-	3,995.60
	3,995.60	-	-	**3,995.60**	-	**3,995.60**	-	**3,995.60**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.84	0.84	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,024.04	5,024.04				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			12,926.59	12,926.59				
			-					
चालू वित्तीय परिसंपत्ति			-		-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	82,294.01	82,294.01	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,296.57	2,296.57	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	59,936.93	59,936.93				
अन्य वसूली योग्य	-	-	2,571.77	2,571.77	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,975.64	3,975.64	-	-	-	-
	-	-	**1,69,026.39**	**1,69,026.39**	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता	-	-	-					
व्यापार देय	-	-	64,918.42	64,918.42	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	431.72	431.72	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	459.72	459.72	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	11,953.72	11,953.72	-	-	-	-
	-	-	**77,778.48**	**77,778.48**	-	-	-	-

राशि ₹ लाख में

31 मार्च 2018

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	2,526.90	-	-	2,526.90	-	2,526.90	-	2,526.90
	2,526.90	-	-	**2,526.90**	-	**2,526.90**	-	**2,526.90**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.48	0.48	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,019.03	5,019.03				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			12,988.71	12,988.71				
			-					
चालू वित्तीय परिसंपत्ति			-		-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	47,993.37	47,993.37	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	1,307.96	1,307.96	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	84,912.23	84,912.23				
अन्य वसूली योग्य	-	-	751.77	751.77	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,860.21	3,860.21	-	-	-	-
	-	-	**1,56,833.76**	**1,56,833.76**	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता	-	-	-					
व्यापार देय	-	-	56,046.67	56,046.67	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	439.11	439.11	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	130.11	130.11	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	11,469.67	11,469.67	-	-	-	-
	-	-	**68,100.46**	**68,100.46**	-	-	-	-

राशि ₹ लाख में

उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत दाम (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 के तहत शामिल उद्धृत मूल्य को छोडकर इन्पुट परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के तौर पर) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उद्‌भूत) प्रेक्षणीय है ।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इन्पुट जो बाज़ार के प्रेक्षणीय आँकड़ा (अप्रेक्षणीय इन्पुट) पर आधारित नहीं है ।

अवधि के दौरान, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम; और
- बाज़ार जोखिम

i.जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं । इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है । कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्‌भूत निवेश शामिल हैं ।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं : बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम । कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है । कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है । ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है ।

37 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यत: कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है ।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है :

व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है । हालाँकि, प्रबंधन, उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित करता सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है|

केंद्र/राज्य सरकारों,केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है ।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है |

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्नलिखित सारणी से मिलती है:

राशि ₹ लाख में

31 मार्च 2019

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई ?
90 दिनों के बाद तक बकाया	0.20%	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	0.98%	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	5.23%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	16.65%	जी नहीं
ऋण क्षति	100.00%	जी हाँ

31 मार्च 2018

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण क्षति हुई ?
बाकी नहीं	4%	जी नहीं
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	4%	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	17%	जी नहीं
181 - 270 दिनों के बाद बकाया	23%	जी नहीं
271 - 365 दिनों के बाद बकाया	31%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	32%	जी हाँ
विशेष प्रावधान	100%	जी हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था :

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
1 अप्रैल तक शेष	8,737.78	7,467.35
पहचान की गई क्षति हानि	1,905.98	1,320.43
पुनर्लिखित राशि	-	(50.00)
31 मार्च तक शेष	**10,643.76**	**8,737.78**

नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2019 तक ₹2,296.57(31 मार्च 2018 तक ₹1,307.96) का नकद और नकद समतुल्य था। नकद और नकद समतुल्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान के पास रखा हुआ है जिनकी क्रिसिल दर ए 1+ दर्ज़ है।

38 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है । तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो ।

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है । कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है । कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है ।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं । राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

राशि ₹ लाख में

संविदात्मक नकद प्रवाह

31 मार्च 2019	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90		14.90		
चालू	-				
व्यापार देय	64,918.42	64,918.42	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता	-				
व्यय के लिए लेनदार	431.72	431.72	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	459.72	459.72	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	11,953.72	11,953.72	-	-	-
	77,778.48	**77,763.58**	**14.90**	-	-

संविदात्मक नकद प्रवाह

31 मार्च 2018	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90			14.90	
चालू	-				
व्यापार देय	56,046.67	56,046.67	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता	-				
व्यय के लिए लेनदार	439.11	439.11	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	130.11	130.11	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	11,469.67	11,469.67	-	-	-
	68,100.46	**68,085.56**	-	**14.90**	-

39 **वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)**

iv. **बाज़ार जोखिम**

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है - जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर - कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे | बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है | कंपनी, मूलत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है | अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है | बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है |

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है | कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है |

राशि ₹ लाख में

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च 2019 तक9

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो (ईयूआर)	37.90	-	0.04	37.87	2,906.91	-	2.90	2,904.01
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	51.62	0.61	108.84	(57.83)	3,550.61	41.72	7,486.32	(3,977.42)

31 मार्च 2018 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो (ईयूआर)	0.15	-	0.97	(0.82)	11.68	-	77.20	(65.53)
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	22.32	1.39	139.63	(118.70)	1,439.20	89.56	9,004.78	(7,655.14)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और इक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

	लाभ या हानि		एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2019				
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(37.29)	37.29	(24.39)	24.39
यूरो (ईयूआर) (1% परिचालन)	(0.66)	0.66	(0.43)	0.43
31 मार्च 2018				
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(76.55)	76.55	(50.06)	50.06
यूरो (ईयूआर) (1% परिचालन)	(0.66)	0.66	(0.43)	0.43

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं।

	वर्ष के अंत में दर	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अमेरिकी डॉलर	68.78	64.49
यूरो (ईयूआर)	76.69	79.81

40. **क. खण्ड सूचना**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे

राशि ₹ लाख में

रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

40. **ख. संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह कंपनी सरकारी प्रतिष्ठान है, अत: अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसे प्रकटीकरण से छोट मिला हुआ है। कंपनी, इण्ड ए.एस. 24 के अनुच्छेद के अनुरूप प्रकटीकरण करेगी। संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

नियंत्रण प्रतिष्ठान — **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

प्रमुख प्रबंधन दल

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध (31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)	संबंध (31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)
श्री राकेश शशिभूषण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त) (02.11.2018 से)	

संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
वेतन	48.57	36.60
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	14.41	6.27
कार्य-समापन लाभ	-	-
	62.98	**42.87**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से अर्जित राजस्व	167.53	1.15
वर्ष के दौरान सेवा पर किए गए व्यय	52,783.02	20,114.54
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व	16,290.02	14,186.35
	69,240.57	**34,302.04**

संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	8,864.38	8,889.81

41. **पूँजी प्रबंधन**

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, 'समायोजित निवल ऋण' एवं 'समायोजित इक्विटी' के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित इक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर इक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

राशि ₹ लाख में

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है | कंपनी की 31.03.2018 तक समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे:

	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
कुल देयता	1,17,183.09	1,22,526.23
घटाइए : नकद एवं नकद समतुल्य	2,296.57	1,307.96
समायोजित निवल ऋण	1,14,886.52	1,21,218.27
कूल इक्विटी	1,47,839.83	1,29,367.82
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित इक्विटी	1,47,839.83	1,29,367.82
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित इक्विटी का अनुपात	0.78	0.94

42 **कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता**

नोट 3 में लेखा नीति देखें

i. **उपदान**

विवरण	नोट	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
निवल पारिभाषित लाभ परिसंपत्ति		-	-
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति		-	-
निवल पारिभाषित लाभ देयता		(45.99)	(41.25)
कुल कर्मचारी लाभ देयता		(45.99)	(41.25)
दीर्घकालीन		45.14	40.51
चालू		0.85	0.74

निवल पारिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभ में शेष	41.25	32.79
प्रदत्त लाभ		
चालू सेवा लागत	7.17	7.69
ब्याज लागत	3.17	2.42
विगत सेवा लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन		
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	(2.29)	0.09
- अनुभव समायोजन	(3.32)	(1.74)
वर्ष के अंत में शेष	**45.99**	**41.25**

नियोजित परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
नियोजन में प्रदत्त योगदान	-	-
लाभ प्रदत्त	-	-
ब्याज से आय	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	-	-

राशि ₹ लाख में

पारिभाषित लाभ दायित्व

1. **बीमांकिक मान्यताएँ**

   रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं (भारित औसत के तौर पर अभिव्यक्त)।

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट दर	7.70%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	प्रथम चार वर्षों के लिए 11% एवं उसके बाद 7%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.16%	7.00%

2. **लोकतांत्रिक मान्यताएँ**

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
मृत्यु दर (आइ.इ.एल.एम. 06-08 का %)	100%	100%
आहरण दर, वय आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	5.00%	5.00%
31-40 वर्ष	3.00%	3.00%
40 वर्ष से ऊपर	2.00%	2.00%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर अभिव्यक्ति

3. **सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण**

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा।

	31-मार्च-19		31-मार्च-19	
	कमी	**वृद्धि**	**कमी**	**वृद्धि**
छूट दर (1%परिचालन)	52.85	40.27	44.14	36.25
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	14.90%	-12.40%	7.00%	-12.10%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1%परिचालन)	38.82	54.46	36.41	46.92
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-15.60%	18.40%	-11.70%	13.70%
क्षयण दर (50% परिचालन)	46.40	45.58	41.67	40.76
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	0.90%	-0.90%	1.00%	-1.20%
मृत्यु दर (10% परिचालन)	45.60	46.38	40.90	41.60
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.90%	0.80%	-0.80%	0.80%

एलआइसीजीजीएफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कार्मिकों को उपदान दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है।

ii. **अवकाश मूल्यांकन**

1. परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
दायित्व का वर्तमान मूल्य	75.04	64.07
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	53.93	-
अधिशेष/ (घाटा)	(21.11)	(64.07)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(21.11)**	**(64.07)**

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
चालू देयता (अल्पावधि)	4.81	0.99
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	70.23	63.08
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	75.04	64.07

राशि ₹ लाख में

भारत की एलआइसी के साथ अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ समूह अवकाश नकदीकरण योजना द्वारा दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है।

43 प्रचालनीय पट्टे

क. पट्टेदार के तौर पर पट्टे

कंपनी के पास 60 वर्षों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि का प्रचालनीय पट्टा है जिसे प्रारंभिक शर्त के समाप्त होने के 60 दिन पहले सूचित कर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए किराए पर अगले 10 वर्षों तक आवधिक आधार पर पुन: नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके लिए कोई उप पट्टा नहीं है।

i. **भविष्य की न्यूनतम पट्टा भुगतान**

31 मार्च तक, रद्द नहीं किए जाने वाले प्रचालनीय पट्टे को भविसःय में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्नवत् हैं।

	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
एक वर्ष में कम समय में देय	0.10	0.10
एक से पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक समय में देय	4.60	4.70
	5.10	5.20

ii. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में
पट्टा व्यय	0.10	0.10

वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट

(राशि ₹ लाख में)

		31.03.2019 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े	31.03.2018 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े
44	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो) i) आकस्मिक देयता: (क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:-		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के ₹912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹5,000 लाख की राशि जमा की गई।	1,444,40.44	1,444,40.44
	(ii) इन माँगों के प्रति माँग की तिथि तक सेवा कर, विरोध के तहत ₹10,555.23 लाख (पिछले ₹4,798.96 लाख) का भुगतान किया गया।	11,355.65	11,355.65
	(iii) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा ₹2,189 लाख (562.50 मिलियन अमेरिकी डालर, समझौते के अनुसार ₹43.78 लाख की विदेशी मुद्रा विनिमय दर से लागू) के परि निर्धारित नुकसान की भरपाई तथा दिनांक 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि (14.09.2015) तक 3 महीने की छूट देते हुए दिनांक 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है। (साथ ही, नीचे दी गई 47 (xii) भी देखें।	2,46,262.50	2,46,262.50
	कुल	**4,01,825.27**	**4,01,825.27**
	(ख) गारंटी:		
	(i) बैंक गारंटी	12,632.76	11,798.39
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:- 1. कारण बताओ नोटिस के प्रति: (i) सेवा कर		
	इसके प्रति विरोध के तहत ₹233.30 लाख की राशि (विगत ₹5,989.58 लाख) का भुगतान किया गया।	233.30	233.30
	(ii) विरोध के तहत विवादित सेवा कर के भुगतान की तिथि तक सेवा कर पर ब्याज एवं शास्ति	18,343.50	18,343.50
	ii) प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधानन किया है;	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य

	कंपनी पूरी तरह आश्वस्त है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयता के लिए संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी और इन आकस्मिक देयताओं पर ब्याज या शास्ति के तौर पर भी संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी। इन आकस्मिक देयताओं पर ब्याज या शास्ति के चलते पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का आकलन करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। अतएव, कतिपय विश्वसनीय आकलनों को छोड़कर इन आकस्मिक देयताओं पर ब्याज या शास्ति का उल्लेख वित्तीय विवरणियों में नहीं किया गया है।		
45	बोर्ड की राय में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब उल्लिखित राशि मूल राशि के लगभग बराबर हो तब स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा अन्य किसी परिसंपत्ति का कोई प्रापण मूल्य नहीं होता।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।

46. **विवादों के विवरण:**

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला विवाद लंबित है	31.03.2018 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)	विवाद की स्थिति
i)	01.04.2005 से 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03 मई, 2010 के अपने आदेश के द्वारा "मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।"
ii)	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन: आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया)	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
iii)	आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी			दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया। कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।

iv)	आदेश सं. 259709721/ 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी			माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
v)	आदेश सं. 251709773 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी			
vi)	आदेश सं. 275709811 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी			
vii)	आदेश सं. 232709848 / 24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी			माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तांतरण याचिका दायर की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को यह निर्देश देते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई तभी होगी जब इसके समक्ष लंबित सिविल अपीलीय कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सिविल अपील के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेगा।
viii)	"संस्थापन एवं प्रवर्तन सेवाओं" के तहत टेली-एडुकेशन एवं वीसैट उपस्कर की आपूर्ति तथा संस्थापन पर माँगे गए सेवाकर"	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	53.00	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।
ix)	01.10.2003 से 15.05.2008 तक की अवधि के लिए भारतीय ग्राहकों को विदेशी उपग्रह पट्टे पर देने के कारण माँगे गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	3,058.00	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।
x)	18.04.2006 से 31.05.2007 तक "टेलिग्राफ सेवाओं" के अंतर्गत एवं 01.06.2007 से 15.05.2008 तक 'दूरसंचार सेवाओं' परशुल्क वापसी प्रक्रिया के तहत विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाता को अंतरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क पर सेवाकर की माँग	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	1,687.95	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।
xi)	जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	6,323.38	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹5756.27 का सेवाकर विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।

xii)	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार को रद्द किए जाने के फलस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी.), पेरिस के समक्ष करार समापन के चलते क्षति का मामला उठाया।	अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु/दिल्ली उच्च न्यायालय /कर्नाटक उच्च न्यायालय/भारत के सर्वोच्च न्यायालय/ पेरिस का अपीलीय न्यायालय/ फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय/ ज़िला अदालत/ सिएटल, यूएसए में वाशिंगटन का पश्चिमी ज़िला।	₹43.78 की दर से संविदा विदेशी मुद्रा विनिमय ₹2,46,262.50 (562.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) में ₹2,189 लाख की परिनिर्धारित क्षति भी शामिल	दिनांक 23 फरवरी, 2011 को अंतरिक्ष विभाग ने केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी को एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के लिए सूचित करते हुए यह निर्देश दिया कि मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 28.01.2005 के अपने करार को रद्द करे। विभाग के इस निर्देश का अनुपालन करते हुए दिनांक 28.01.2005 के एन्ट्रिक्स-देवास के बीच हुए करार को दिनांक 25 फरवरी, 2011 को समाप्त कर दिया गया। करार समाप्त होने के बाद, देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के तत्वावधान में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत की। चूँकि देवास द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता करार के सुस्पष्ट शर्तों के अनुरूप नहीं था, इसलिए करार के शर्तों के अनुरूप कंपनी ने दिनांक 30.07.2011 को मध्यस्थता की सूचना जारी की और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी द्वारा स्थापित मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए देवास को निर्देश देने हेतु मध्यस्थता याचिका दायर की। 10 मई, 2013 को मध्यस्थता याचिका को ख़ारिज़ कर दी गई; पुनर्विचार याचिका भी ख़ारिज़ कर दी गई। मध्यस्थता याचिका ख़ारिज़ होने के बाद कंपनी ने विवादित मामलों में आइ.सी.सी न्यायालय की न्याय-व्यवस्था पर आपत्ति रहते हुए भी देवास द्वारा शुरु की गई आइ.सी.सी मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया। आइ.सी.सी न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय सुनाया जिसमें देवास को (i) 562.50 करोड़ के अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति (ii) 25.02.2011 से अधिनिर्णय सुनाने की तिथि तक 3 महीने की छूट +4% की दर से ब्याज (iii) अधिनिर्णय सुनाने की तिथि से पूरा भुगतान होने तक (i) एवं (ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उल्लेख किया। आइ.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की माँग भी की गई है।

				दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर कंपनी की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाख़िल करे जिसे दाख़िल कर दिया गया है। कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग ने दिनांक 30 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया। दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 को देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के दिनांक 30 मई, 2018 के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को माननीय न्यायालय ने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए और नगर व्यवहार न्यायालय के समक्ष धारा 9 और धारा 34 चुनौती याचिका के तहत मध्यस्थता आवेदन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को कंपनी ने न्यायिक अधिकारक्षेत्र मामलों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय के कुछ अवलोकनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए लंबित देवास की विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न किया गया था। यहाँ तक कि आइ.सी.सी. मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्थता आवेदन तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII से पठ्य धारा 26 के अंतर्गत दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आइ.सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को आइ.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आइ.सी.सी.न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के मध्यस्थता आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आई. एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया।

				कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थता मुकदमा भी दायर किया। जिस आधार पर अधिनिर्णय को रद्द करने की अपेक्षा की गई थी वह आइ.सी.सी.न्यायाधिकरण के न्यायिक अधिकारक्षेत्र था। देवास ने बेंगलूरु नगर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकारक्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को कंपनी ने बेंगलूरु शहर के अधिसूचित/अभिहित ज़िला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष इन तीन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अलग से स्मारपत्र दाख़िल किया। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 और धारा 34 से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा रखा है। कंपनी ने, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के निपटारे तक आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को दी गई धारा 34 की अपनी चुनौती पर अगली सुनवाई को स्थगित किए जाने के लिए नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के दिनांक 07.01.2017 के आदेश के विरुद्ध समादेश आवेदन प्रस्तुत किया। संबंधित मामलों पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के कारण यह समादेश आवेदन निष्फल साबित हो गया। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने कानूनी सलाहकारों की सलाह पर इस याचिका को वापस ले लिया। दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था और पेरिस के प्रथम वादी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 का एक्सक्वाटर आदेश प्राप्त कर लिया। एन्ट्रिक्स ने इस एक्सक्वाटर आदेश के विरुद्ध पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर किया। पेरिस के अपीलीय न्यायालय ने, 27 मार्च,2018 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 के अपने एक्सक्वाटर आदेश की पुष्टि की और एन्ट्रिक्स को कार्यवाही की फीस एवं व्यय के भुगतान का आदेश दिया और देवास को फ्रेंच कोड की सिविल प्रक्रिया के अनुच्छेद 700 का अनुसरण करते हुए 1,00,000 यूरो का भुगतान करने को कहा। कंपनी ने, दिनांक 27 मार्च, 2018 के आदेश के विरुद्ध दिनांक 29 अगस्त, 2018 को अपील दायर की और फिर इसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 फरवरी, 2019 को विस्तृत पुनरावेदन याचिका दाखिल की। देवास ने दिनांक 27 जून, 2019 को गुण-दोष के आधार पर अपना जवाब दाख़िल किया और अधिनिर्णीत लागत के भुगतान नहीं होने के आधार पर कंपनी की अपील को ख़ारिज करने के लिए न्यायालय की आज्ञा के लिए कोई प्रार्थना भी प्रस्तुत नहीं की। चूँकि कंपनी द्वारा दाख़िल लंबित अपील स्वत: लागत अधिनिर्णय के विरुद्ध सम्पत्ति को उत्तराधिकारी द्वारा नहीं बेचे जाने की अपील ज़ाहिर करता है जो कंपनी के पक्ष में अपील के निर्णय आते ही स्वयं समाप्त हो जाएगा।

				देवास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय में आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए कार्यवाही की पहल की है । कंपनी ने याचिका ख़ारिज़ करने के लिए न्यायालय की आज्ञा हेतु प्रार्थना प्रस्तुत की है । वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय ने देवास द्वारा आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए दाख़िल याचिका को रद्द करने और उसका विरोध करने वाली कंपनी की याचिका और न्यायालय की आज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र को दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया । हालाँकि, भारतीय न्यायालयों में आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को कंपनी द्वारा दी गई चुनौती के समाधान के लंबित होने के कारण न्यायालय ने आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए यानी दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है । इसके बाद, दिनांक 10 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में न्यायालय ने प्रतिज्ञापत्र भरने की शर्त के साथ स्थगन-अनुदान को जोड़ने के देवास के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक बिना किसी प्रतिभूति/प्रतिज्ञापत्र के स्थगन-अनुदान का आदेश दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को भारत में मुक़दमे की संयुक्त स्थिति रिपोर्ट दाख़िल करने का निर्देश दिया और कहा कि दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक या उससे पहले न्यायालय स्थगन समाप्त करे या बढ़ा दे । अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से विधि मंत्रालय, भारत सरकार/निगरानी प्रकोष्ठ के साथ परामर्श करके अगली कार्रवाई की जा रही है । इस संबंध में, यदि कोई देयता है, तो उसे भारत सरकार द्वारा पूर्ति की जाएगी क्योंकि भारत सरकार के निर्देश के बाद ही करार रद्द होने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है ।

47. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इसप्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर (₹ लाखों में)	नामे / जमा	लाभ तथा हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते एवं परिसंपत्ति एवं देयता	394.11 (799.87)	नामे जमा	विविध आय में नामे किया गया (विविध आय में जमा किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं|

48. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एएस-38 के तहत प्रकटीकरण-अमूर्त परिसंपत्ति:

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(ङ.)	सकल वाहित राशि	₹114.86 लाख (विगत वर्ष ₹79.81 लाख)

(च)	संचित परिशोधन	₹47.37 लाख (विगत वर्ष ₹26.44 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसे अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि के आरंभ एवं अंत मेंसंचित क्षति हानि	शून्य
(झ)	अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य	
(i)	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग	अलग से प्राप्त ₹35.04 लाख (विगत वर्ष ₹1.09 लाख) । आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है
(ii)	इण्डएएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (विगत वर्ष- शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹20.92 लाख (विगत वर्ष ₹15.82 लाख)
(vii)	वित्तीय विवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(viii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

49. कंपनी ने अपने प्रथम इण्ड एएस वित्तीय विवरणी (2016-17) में भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस)-114 - नियामक अनुपालन लेखा को लागू करने हेतु चयनित नहीं किया है क्योंकि इसने दर समंजित क्रियाकलाप संचालित नहीं किया है । तदनुसार, यह इण्ड एएस आगामी वित्तीय विवरणी की अवधि के लिए तब तक लागू नहीं है जब तक भविष्य में कंपनी द्वारा कोई दर नियामक क्रियाकलाप संचालित नहीं किया जाता । अत:, इण्ड एएस-114 के तहत, कंपनी के लिए प्रकटीकरण का अनुपालन लागू नहीं है ।

50. कंपनी ने वर्ष 2017-18 में इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति हेतु आइसीएआइ से उनका विचार जानना चाहा था । वर्ष 2017-18 के दौरान, इस खण्ड से प्राप्त राजस्व ₹1,08,605.41 लाख (विगत वर्ष ₹94,575.66 लाख) है । उनके मतानुसार, अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किए जाने वाले शेयर के प्रति कंपनी जवाबदेह है । कंपनी ने उनके मत को स्वीकार किया है और उनके मतानुसार ही इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा रखा है ।

51. कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं । संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक अपने उपग्रह के प्रमोचन की तिथि से सात वर्षों के लिए जगह साझा (ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे । यह सुविधा उपयोग के लिए उपलब्ध है । इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य ₹11,130 लाख (लागू होने वाले माल सेवा कर सहित निर्धारित किया गया है जो ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति का उचित मूल्य निर्दिष्ट करता है । प्रचालनों से प्राप्त राजस्व [नोट सं. 26(बी)(i)] में ₹8,575.07 लाख) की शुद्ध आय (माल सेवा कर छोड़कर) भी शामिल है ।

52. निर्गत गारंटी के बदले में प्रतिभूति के तौर पर और प्रतिभूति जमा के एवज में केनरा बैंक में ₹0.47 लाख (विगत वर्ष ₹0.47 लाख) की सावधि जमाराशि शामिल है जिसे प्रतिभूति जमा के एवज में "वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त", जिला-"V" परिमंडल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत रखा गया है ।

53. कंपनी के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 164,72,500 यूरो, ₹12,632.76 लाख के समतुल्य (विगत वर्ष 164,72,500 यूरो, ₹11,798.39 लाख के समतुल्य), की निर्गत गारंटी के बदले में कंपनी ने ₹13,789.22 लाख (विगत वर्ष ₹12,926.12 लाख) की राशि उनके साथ सावधि जमा के तौर पर बंधक रखे हुए है । हालाँकि, कंपनी उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है । फिलहाल, भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस)-37 में "प्रावधान" का कोई प्रसंग पारिभाषित नहीं है ।

54. कंपनी ने, वैसे ग्राह्क जिनके साथ करार समाप्त को चुका है, को छोड़कर, सभी ग्राहकों से 31 दिसम्बर, 2018 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है। अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखापर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

55. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2019 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

56. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹144,440.43 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट-सं.45(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है।

57. प्रमोचन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी, "स्व-बीमा" नीति के अंतर्गत ग्राहक से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए क्षेत्र को अनुरक्षित और विस्तृत करने के लिए उत्तरदायी है। इस नीति में, प्रमोचन काल के दौरान मृत्यु सहित शारीरिक चोट लगने और इसरो के प्रमोचन यान का उपयोग करके समर्पित और सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचित करने के दौरान तीसरे पक्ष के उत्पादों को हुई हानि के लिए कानूनी देयता शामिल है। इसरो, प्रत्येक प्रमोचन के लिए स्व-बीमा नीति का अनुसरण करता है। इस प्रकार, कंपनी के लिए तीसरा पक्ष देयता बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

58. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार वापसी आयकर बकाया (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	3,014.69	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2014-15	63.13	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2015-16	1,221.27	1,221.27 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आदेश पारित किया और वर्ष 2019-20 के दौरान वापसी प्राप्त हुई।
2016-17	2,304.01	जाँच आकलन लंबित है।
2017-18	1,981.01	जाँच आकलन लंबित है।
कुल	**8,584.11**	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त सारणी में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस का ब्योरा दिया गया है, के बीच सामंजस्य प्रगति पर है। सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखाविधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

59. कंपनी ने वित्त-वर्ष 2017-18 के दौरान आयकर विवरणी में ग़लत दावा दिखलाने के कारण विरोध किए जाने पर ₹3,488 लाख के सेवाकर भुगतान के लिए अतिरिक्त आयकर प्रावधान किया है। ₹1,045.18 लाख का अतिरिक्त आयकर प्रावधान किया गया है।

60. विगत वर्ष के सामग्री वर्गीकरण के आँकड़ों के विवरण:

1. अन्य दीर्घकालीन देयता के तहत वर्गीकृत प्रमोचन सेवा हेतु विरोध के कारण भुगतान किए गए सेवाकर के तौर पर ₹6,298.35 लाख की आकस्मिकता जमाराशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को विरोध के तहत भुगतान किए गए सेवाकर के रूप में दिखलाया गया है। इस प्रकार, अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में ₹6,298.35 लाख की कमी आई है।
2. "व्यापारिक लेनदारों के लिए अग्रिम" शीर्ष के तहत व्यापारिक लेनदारों ₹23.74 लाख के किए गए भुगतान को अन्य दीर्घकालीन से अन्य चालू परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
3. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को उचित शेयर देने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्य और व्यापार देय को क्रमश: वर्गीकृत किया गया है।
4. ग्राहकों से मिली ₹5,994.25 लाख की संविदा राशि को अन्य दीर्घकालीन देयता से अन्य चालू देयता के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

5. राजस्व और व्यय ₹80,389.31 लाख की राशि को निवल आधार पर कम करके अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के राजस्व शेयर को दिखलाया गया है | वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है |

नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और अधिक स्पष्टता के लिए वर्गीकरण किया गया है।

61. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रुपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी ज़रुरत पड़ी, विगत वर्ष के आँकडों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(तिलक सिंह)
कंपनी सचिव
आइसीएआइ सदस्य सं. एसीएस3252

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 30 अक्तूबर, 2019

राशि ₹ लाख में

नोट सं.18 एवं नोट सं.32 में वर्णित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय राशि का विवरण

विवरण	31.03. 2019 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय किए जाने के लिए आबंटित राशि	**678.00**	**676.16**
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (वास्तविक भुगतान हेतु न कि सहायतार्थ)		
(i) किसी स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण/संग्रहण	-	-
(ii) उपर्युक्त (i) के उद्देश्यों के अलावा निम्नानुसार यथा विवरित:		
राष्ट्रीय खेल विकास की प्रगति के लिए योगदान	-	5.00
दीर्घकालिक विकास की प्रगति के लिए केयर इंडिया समाधान द्वारा बालिका सहायता हेतु उड़ान परियोजना के लिए योगदान	-	12.78
विद्यालय एवं महाविद्यालय शैक्षिक एवं इससे जुड़े अन्य क्रियाकलापों के लिए योगदान	119.84	54.92
शिरोपरि टंकी के निर्माण हेतु योगदान	34.16	64.90
स्वच्छ गंगा कार्यक्रम हेतु योगदान	5.00	-
ग्राम विकास के लिए योगदान	127.74	175.13
सात दृष्टिबाधित लोगों के नेत्र शल्य-चिकित्सा के लिए मेसर्स भारतीय नेत्रहीन संस्था को योगदान	-	0.72
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए.एफ़.एफ़.डी.एफ़) में युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मेसर्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को योगदान	5.00	10.00
दिव्यांग, मस्तिष्क-विकृति, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक रोगियों के लिए मेसर्स यूनाइटेड अनाथालय को योगदान	-	1.15
ग्रामीण महिला विकास के लिए प्रगतिशील महिला संस्थान को योगदान	13.20	19.80
वेम्बनाड झील में, वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम के लिए मेसर्स अत्री, केरल को योगदान	41.95	45.24
बंदीगृह में रहने वाले कैदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए महानिदेशक, बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवा, तेलंगाना के लिए योगदान	5.67	2.66
विद्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के लिए योगदान	222.62	198.21
दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण एवं सहायक सामग्री का योगदान	84.33	83.83
पाँवफिरा रोग से ग्रसित दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट को योगदान	6.21	5.76
चिकित्सीय सहायता एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए योगदान	5.97	-
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए परामर्शिता शुल्क	16.44	15.37
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए किए गए व्यय	0.79	0.84
	688.92	**696.31**

इण्ड ए.एस. 24 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण का ब्योरा - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

नोट 17 का परिशिष्ट

तुलनपत्र तैयार किए जाने तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े

राशि ₹ लाख में

	विवरण	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2016 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2015 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2014 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	₹100/-प्रत्येक की दर से ₹340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	₹100/-प्रत्येक की दर से ₹300 लाख मूल्य के 3,00,000 एक्विटी शेयर	शून्य
iii)	पुन: खरीदे गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर की पुन: खरीदारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094
दूरभाष : + 91 80 2217 8302/31/11, फैक्स : + 91 80 2217 8337
वेबसाइट : www.antrix.co.in